प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909

धाराओं का क्रम

धाराएं

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

भाग 1

न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां

अधिकारिता

3. दिवाला विषयक अधिकारिता रखने वाले न्यायालय ।

4. अधिकारिता का प्रयोग एकल न्यायाधीश करेगा ।

5. कक्ष में अधिकारिता का प्रयोग ।

6. न्यायालय के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

7. दिवाले में उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय करने की न्यायालय की शक्ति ।

अपीलें

8. दिवाले में अपीलें ।

भाग 2

दिवालिएपन के कार्य से उन्मोचन तक कार्यवाहियां

दिवालिएपन के कार्य

9. दिवालिएपन का कार्य ।

न्यायनिर्णयन का आदेश

10. न्यायनिर्णयन की शक्ति ।

11. अधिकारिता पर निर्बन्धन ।

12. वे शर्तें जिन पर लेनदार अर्जी दे सकता है ।

13. लेनदार की अर्जी पर कार्यवाही और आदेश ।

14. शर्तें जिन पर ऋणी अर्जी दे सकता है ।

15. ऋणी की अर्जी पर कार्यवाही और आदेश ।

16. अन्तरिम रिसीवर नियुक्त करने के बारे में वैवेकिक शक्ति ।

17. न्यायनिर्णयन के आदेश का प्रभाव ।

18. कार्यवाहियों को रोकना ।

19. विशेष प्रबन्ध नियुक्त करने की शक्ति ।

धाराएं

20. न्यायनिर्णयन के आदेश का विज्ञापन ।

न्यायनिर्णयन का बातिलकरण

21. कतिपय मामलों में न्यायनिर्णयन को बातिल करने की न्यायालय की शक्ति ।

22. भारत में न्यायालय में समवर्ती कार्यवाहियां ।

23. बातिलकरण होने पर कार्यवाहियां ।

न्यायनिर्णयन के आदेश पर पारिणामिक कार्यवाहियां

24. दिवालिए की अनुसूची ।

25. संरक्षण आदेश ।

26. लेनदारों का अधिवेशन ।

27. दिवालिए की सार्वजनिक परीक्षा ।

28. प्रस्थापनाओं का प्रस्तुतीकरण और लेनदारों द्वारा प्रतिग्रहण ।

29. न्यायालय द्वारा प्रस्थापना का अनुमोदन ।

30. अनुमोदन होने पर आदेश ।

31.ऋणी को दिवालिया पुन: न्यायनिर्णीत करने की शक्ति ।

32. समझौता या योजना के प्रभाव का परिसीमन ।

दिवालिए के शरीर और सम्पत्ति पर नियंत्रण

33. दिवालिए के सम्पत्ति के प्रकटीकरण और आपन के बारे में कर्तव्य ।

34. दिवालिए की गिरफ्तारी ।

35. पत्रों को पता बदलकर भेजना ।

36. दिवालिए की सम्पत्ति का प्रकटीकरण ।

37. कमीशन जारी करने की शक्ति ।

दिवालिए का उन्मोचन

38. दिवालिए का उन्मोचन ।

39. मामले जिनमें न्यायालय को आत्यन्तिक उन्मोचन से इंकार करना ही चाहिए ।

40. उन्मोचन के लिए आवेदन की सुनवाई ।

41. उन्मोचन के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर न्यायनिर्णयन को बातिल करने की शक्ति ।

42. आवेदन का नवीकरण और आदेश के निबन्धनों में परिवर्तन ।

43. उन्मुक्त दिवालिए का सम्पत्ति के आपन में सहायता करने का कर्तव्य ।

44. कपटपूर्ण व्यवस्थापन ।

45. उन्मोचन के आदेश का प्रभाव ।

धाराएं

भाग 3

सम्पत्ति का प्रशासन

ऋणों का सबूत

46. ऋण जो दिवाले में साबित किए जा सकते हैं ।

47. पारस्परिक व्यवहार और मुजरा ।

48. ऋणों के सबूत के बारे में नियम ।

49. ऋणों में पूर्विकता ।

50. न्यायनिर्णयन के पूर्व शोध्य भाटक ।

ऋणों के संदाय के लिए उपलब्ध संपत्ति

51. समनुदेशिती के हक का सम्बन्ध ।

52. दिवालिए की उसके लेनदारों में विभाज्य सम्पत्ति का वर्णन ।

पूर्वगामी संव्यवहारों पर दिवाले का प्रभाव

53. निष्पादन के अधीन लेनदारों के अधिकारों पर निर्बन्धन ।

54. निष्पादन में ली गई सम्पत्ति के बारे में डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के कर्तव्य ।

55. स्वेच्छया अन्तरण का शून्य किया जाना ।

56. कतिपय दशाओं में अधिमानों का शून्य किया जाना ।

57. सद्भावपूर्ण संव्यवहारों का संरक्षण ।

सम्पत्ति का आपन

58. शासकीय समनुदेशिती द्वारा सम्पत्ति का कब्जा ।

59. दिवालिए की संपत्ति का अभिग्रहण ।

60. वेतन के भाग या अन्य आय का लेनदारों को विनियोजन ।

61. सम्पत्ति का निहित होना और अन्तरण ।

62. दुर्भर सम्पत्ति का दावा-त्याग ।

63. पट्टाधृतियों का दावा-त्याग ।

64. शासकीय समनुदेशिती से दावा-त्याग की मांग करने की शक्ति ।

65. न्यायालय की संविदा को विखण्डित करने की शक्ति ।

66. दावा-त्याग की गई सम्पत्ति के संबंध में निहित करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति ।

67. दावा-त्याग द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का साबित कर सकना ।

68. शासकीय समनुदेशिती के आपन के बारे में कर्तव्य और शक्तियां ।

सम्पत्ति का वितरण

69. भागदेय की घोषणा और वितरण ।

70. संयुक्त और पृथक् सम्पत्तियां ।

71. भागदेयों की संगणना ।

धाराएं

72. जिस लेनदार ने भागदेय घोषित किए जाने के पूर्व ऋण साबित नहीं किया है, उसका अधिकार ।

73. अन्तिम भागदेय ।

74. भागदेय के लिए कोई वाद न होना ।

75. दिवालिए को सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए अनुज्ञात करने की शक्ति और दिवालिए को अनुरक्षण या सेवा के लिए भत्ता ।

76. अधिशेष के लिए दिवालिए का अधिकार ।

भाग 4

शासकीय समनुदेशिती

77. दिवालिए की सम्पदा के शासकीय समनुदेशितियों की नियुक्ति और उनका हटाया जाना ।

78. शपथ दिलाने की शक्ति ।

79. दिवालिए के आचरण के बारे में कर्तव्य ।

80. लेनदारों की सूची देने का कर्तव्य ।

81. पारिश्रमिक ।

82. अपकरण ।

83. नाम जिनसे वाद लाए जाएंगे ।

84. दिवाले से पद का रिक्त हो जाना ।

85. विवेकाधीन शक्तियां और उनका नियंत्रण ।

86. न्यायालय को अपील ।

87. न्यायालय का नियंत्रण ।

भाग 5

निरीक्षण-समिति

88. निरीक्षण-समिति ।

89. शासकीय समनुदेशिती पर निरीक्षण-समिति का नियंत्रण ।

भाग 6

प्रक्रिया

90. न्यायालय की शक्तियां ।

91. अर्जियों का समेकन ।

92. अर्जी के संचालनकर्ता को बदलने की शक्ति ।

93. ऋणी की मृत्यु के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना ।

94. कार्यवाहियों को रोकने की शक्ति ।

95. भागीदार के विरुद्ध अर्जी पेश करने की शक्ति ।

96. कुछ प्रत्यर्थियों के विरुद्ध ही अर्जी खारिज करने की शक्ति ।

97. भागीदारों के विरुद्ध पृथक् दिवाले की अर्जियां ।

धाराएं

98. शासकीय समनुदेशिती और दिवालिए के भागीदारों द्वारा वाद ।

99. भागीदारी के नाम कार्यवाहियां ।

100. दिवाला न्यायालयों के वारण्ट ।

भाग 7

परिसीमा

101. अपीलों की परिसीमा ।

101क. कतिपय दशाओं में परिसीमा की कालावधि की संगणना करने में समय का अपवर्जन ।

भाग 8

शास्तियां

102. अनुन्मोचित दिवालिए का प्रत्यय अभिप्राप्त करना ।

103. कतिपय अपराधों के लिए दिवालिए को दण्ड ।

104. धारा 103 के अधीन आरोप पर प्रक्रिया ।

105. उन्मोचन या समझौते के पश्चात् आपराधिक दायित्व ।

भाग 9

लघु दिवाले

106. लघु मामलों में संक्षेपत: प्रशासन ।

भाग 10

विशेष उपबन्ध

107. निगमों इत्यादि को दिवाले की कार्यवाहियों से छूट ।

108. किसी व्यक्ति के दिवालिया मर जाने पर उसकी सम्पदा का दिवाले में प्रशासन ।

109. सम्पदा का निहित होना और प्रशासन का ढंग ।

110. विधिक प्रतिनिधियों द्वारा संदाय या अन्तरण ।

111. महाप्रशासक की अधिकारिता की व्यावृत्ति ।

भाग 11

नियम

112. नियम ।

113. नियमों की मंजूरी ।

114. नियमों का प्रकाशन ।

भाग 12

अनुपूरक

115. इस अधिनियम के अधीन अन्तरणों आदि को शुल्क से छूट ।

116. राजपत्र का साक्ष्य होना ।

धाराएं

117. शपथपत्रों के लिए शपथ लेना ।

118. प्ररूपिक त्रुटि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

119. न्यासी के दिवाले को न्यासी अधिनियम का लागू होना ।

120. कतिपय उपबन्धों का सरकार को आबद्ध करना ।

121. सुने जाने के विद्यमान अधिकारों की व्यावृत्ति ।

122. बिना दावा के भागदेय का सरकार को चला जाना और जमा होना ।

123. धारा 122 के अधीन सरकार को जमा किए गए धन के दावे ।

124. दिवालिए की बहियों तक पहुंच ।

125. फीस और प्रतिशत ।

126. न्यायालयों का एक दूसरे का सहायक होना ।

127. व्यावृत्ति ।

प्रथम अनुसूची—लेनदारों के अधिवेशन ।

द्वितीय अनुसूची—ऋणों का सबूत ।

तृतीय अनुसूची—[निरसित ।]

प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909

(1909 का अधिनियम संख्यांक 3)[1]

[12 मार्च, 1909]

प्रेसिडेंसी नगरों [2]* में दिवाले से सम्बन्धित विधि का संशोधन करने के लिए अधिनियम**

यत: प्रेसिडेंसी नगरों [3]*** में दिवाले से संबंधित विधि का संशोधन करना समीचीन है ; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 है ।

(2) यह सन् 1910 की जनवरी के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "लेनदार" के अन्तर्गत डिक्रीदार भी है ;

(ख) "ऋण" के अन्तर्गत निर्णीत ऋण भी है, और "ऋणी" के अन्तर्गत निर्णीतऋणी भी है ;

[4]* * * * *

(ग) "शासकीय समनुदेशिती" के अन्तर्गत कार्यकारी शासकीय समनुदेशिती [5][और शासकीय उपसमनुदेशिती भी है, चाहे स्थायी या कार्यकारी] ;

(घ) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) "संपत्ति" के अन्तर्गत ऐसी संपत्ति भी है जिसका या जिसके लाभों का व्ययन करने की शक्ति किसी व्यक्ति को है, जिसका प्रयोग वह अपने फायदे के लिए कर सकता है ;

(च) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(छ) "प्रतिभूत लेनदार" के अन्तर्गत वह भू-स्वामी भी है जिसका तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन भूमि के भाटक के लिए उस भूमि पर भार है ;

(ज) "न्यायालय" से इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय अभिप्रेत है, [6]***

(झ) "संपत्ति के अन्तरण" के अन्तर्गत उसमें किसी हित का अंतरण और उस पर सृजित कोई भार भी है ;

[7][(ञ) "राज्य" से वे सभी राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं [8][जो एक नवम्बर, 1956 के ठीक पहले] भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] ।

---

[1] यह अधिनियम 1933 के मुम्बई अधिनियम सं० 20 और 1939 के मुम्बई अधिनियम सं० 15 द्वारा मुम्बई में; 1936 के बंगाल अधिनियम सं० 18 द्वारा बंगाल में ; और 1943 के अधिनियम सं० 5 द्वारा मद्रास में संशोधित किया गया ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "और रंगून नगर" शब्द निरसित ।

[3] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "और कराची नगर" शब्द निरसित । 1920 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा "रंगून नगर" शब्दों के स्थान पर "रंगून और कराची नगर" शब्द और भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "नगर" शब्द के स्थान पर "रंगून नगर और" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे ।

[4] 1926 के अधिनियम सं० 9 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित खंड (खख) और (खखख) भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा निरसित ।

[5] 1930 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।

[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा खंड (ञ) अंत:स्थापित ।

[8] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "तत्समय समाविष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग 1

न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां

अधिकारिता

3. दिवाला विषयक अधिकारिता रखने वाले न्यायालय—इस अधिनियम के अधीन दिवाले में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय [1][कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई स्थित उच्च न्यायालय होंगे]।

4. अधिकारिता का प्रयोग एकल न्यायाधीश करेगा—वे सभी विषय जिनके बारे में इस अधिनियम द्वारा अधिकारिता दी गई है सामान्यत: उस न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक द्वारा या उसके निदेश के अधीन संव्यवहार किए और निपटाए जाएंगे, और मुख्य न्यायाधिपति [2]*** समय-समय पर, उस प्रयोजनार्थ एक न्यायाधीश नियत करेगा।

5. कक्ष में अधिकारिता का प्रयोग—इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिवाले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय का न्यायाधीश अपनी समस्त अधिकारिता का या उसके किसी भाग का प्रयोग कक्ष में कर सकता है।

6. न्यायालय के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) मुख्य न्यायाधिपति [2]*** समय-समय पर, यह निदेश दे सकता है कि, किन्हीं ऐसे मामलों में, जिनकी बाबत इस अधिनियम द्वारा न्यायालय को अधिकारिता दी गई है, उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के अधिकारी को इस धारा में उल्लिखित सभी या कोई शक्तियां होंगी ; और उक्त शक्तियों के प्रयोग में ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश या कोई कार्य न्यायालय का आदेश या कार्य समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियां निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) ऋणियों द्वारा पेश की गई दिवाले की अर्जियों को सुनना, और उन पर न्यायनिर्णयन का आदेश करना ;

(ख) दिवालियों का सार्वजनिक परीक्षण करना ;

(ग) कोई ऐसा आदेश करना या अधिकारिता का प्रयोग करना जिसके बारे में यह है कि कक्ष में उसका किया जाना उचित है ;

(घ) किसी निर्विरोध या एकपक्षीय आवेदन को सुनना और उसे अवधारित करना ;

(ङ) न्यायालय द्वारा धारा 36 के अधीन समनित किसी व्यक्ति की परीक्षा करना।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारी को न्यायालय के अवमान के लिए सुपुर्द करने की शक्ति नहीं होगी।

7. दिवाले में उद्भूत होने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय करने की न्यायालय की शक्ति—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यायालय को पूर्विकता के सभी प्रश्नों का, और अन्य सभी प्रश्नों का, चाहे विधि के या तथ्य के, जो भी हों, जो न्यायालय के संज्ञान के अन्दर आने वाले किसी दिवाले के मामले में उद्भूत होते हैं, या जिनका विनिश्चय करना न्यायालय पूर्ण न्याय करने के या किसी ऐसे मामले में सम्पत्ति का पूर्ण वितरण करने के, प्रयोजन के लिए समीचीन या आवश्यक समझे, विनिश्चय करने की पूर्ण शक्ति होगी :

[3][परन्तु यह कि, जब तक सब पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियां, धारा 36 के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले के विनिश्चय के प्रयोजनार्थ उस धारा में उपबन्धित रीति में और विस्तार तक ही प्रयोग की जाएगी।]

अपीलें

8. दिवाले में अपीलें—(1) न्यायालय दिवाला विषयक् अपनी अधिकारिता के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन, विखण्डन या उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(2) दिवाले के मामलों में आदेशों की अपील व्यथित व्यक्ति की प्रेरणा पर, निम्नलिखित रूप में की जाएगी, अर्थात् :—

(क) धारा 6 के अधीन सशक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की अपील, दिवाले के मामले के संव्यवहार और निपटान के लिए धारा 4 के अधीन नियत न्यायाधीश को होगी और ऐसे न्यायाधीश की इजाजत के बिना कोई आगे अपील नहीं होगी ;

---

[1] 1926 के अधिनियम सं० 9 की धारा 4 और भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा संशोधित मूल खंड (क) और (ख) के स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या न्यायिक आयुक्त" शब्द निरसित।

[3] 1927 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

(ख) खण्ड (क) में यथाउपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग में किसी न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश से अपील उसी प्रकार से और उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जैसे न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में न्यायाधीश द्वारा किए गए आदेश से होती है ।

भाग 2

दिवालिएपन के कार्य से उन्मोचन तक कार्यवाहियां

दिवालिएपन के कार्य

9. दिवालिएपन का कार्य—[1][(1)] ऋणी निम्नलिखित में से प्रत्येक दशा में दिवालिएपन का कार्य करता है, अर्थात् :—

(क) यदि वह, राज्यों में या अन्यत्र, अपनी समस्त सम्पत्ति या पर्याप्त रूप से समस्त सम्पत्ति का अन्तरण किसी तीसरे व्यक्ति को साधारणतया अपने लेनदारों के फायदे के लिए करता है ;

(ख) यदि वह, राज्यों में या अन्यत्र, अपनी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का अन्तरण अपने लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से करता है ;

(ग) यदि, वह राज्यों में या अन्यत्र, अपनी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का ऐसा अन्तरण करता है, जो उसके दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिए जाने की दशा में इस या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन कपटपूर्ण अधिमान के रूप में शून्य होगा ;

(घ) यदि अपने लेनदारों को विफल या देरी करने के आशय से,—

(i) वह राज्यों से बाहर चला जाता है या बाहर रहता है,

(ii) वह अपने निवास-गृह या कारबार के प्रायिक स्थान से चला जाता है या अन्यथा अपने को अनुपस्थित रखता है,

(iii) वह अपने को इस प्रकार अलग कर लेता है कि वह अपने लेनदारों को अपने से सम्पर्क करने के साधन से वंचित कर देता है;

(ङ) यदि उसकी कोई सम्पत्ति धन के संदाय के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई है या इक्कीस दिन से अन्यून कालावधि के लिए कुर्क की गई है;

(च) यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए अर्जी देता है ;

(छ) यदि वह अपने किसी लेनदार को यह सूचना देता है कि उसने अपने ऋणों के संदाय को निलंबित कर दिया है या निलंबित करने ही वाला है ;

(ज) यदि वह धन के संदाय के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कारावास में है ।[2]

[3][(2)] उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी दिवालिएपन का कार्य करता है यदि उस लेनदार ने, जिसने धन के संदाय के लिए उसके विरुद्ध डिक्री या आदेश प्राप्त किया है । (जो ऐसी डिक्री या आदेश है, जो अंतिम हो गया है और जिसका निष्पादन रोका नहीं गया है), उपधारा (3) में उपबंधित रूप में उस पर सूचना की (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में दिवाला-सूचना कहा गया है) तामील की है और ऋणी उस सूचना का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन नहीं करता है :

परन्तु यह कि जहां ऋणी दिवाला-सूचना के अपास्त किए जाने के लिए उपधारा (5) के अधीन आवेदन करता है वहां :—

(क) उस मामले में जहां ऐसा आवेदन न्यायालय द्वारा मंजूर किया जाता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अधीन दिवालिएपन का कार्य नहीं किया है ; और

(ख) उस मामले में जहां ऐसा आवेदन न्यायालय द्वारा नामंजूर किया जाता है, यह समझा जाएगा कि उसने आवेदन के नामंजूर किए जाने की तारीख को या दिवाला-सूचना में उसके अनुपालन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर जो भी पश्चात्वर्ती इस उपधारा के अधीन दिवालिएपन का कार्य किया है :

---

[1] 1978 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) धारा 9 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[2] केवल मुम्बई में लागू खण्ड (i) और परन्तुक के लिए देखिए, प्रेसिडेंसी नगर दिवाला और प्रान्तीय दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1939 (1939 का मुम्बई अधिनियम सं० 15) की धारा 2 ।

[3] 1978 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) अंत:स्थापित ।

परन्तु यह और कि किसी दिवाला-सूचना की ऐसी ऋणी पर, जो, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, भारत के बाहर निवास कर रहा हो, तब तक तामील नहीं की जाएगी जब तक कि लेनदार उसके लिए न्यायालय की इजाजत न प्राप्त कर ले ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दिवाला-सूचना :—

(क) विहित प्ररूप में होगी ;

(ख) उसकी विहित रीति से तामील की जाएगी ;

(ग) उसमें डिक्री या आदेश के अधीन शोध्य रकम विनिर्दिष्ट होगी और वह ऋणी से उसका संदाय करने की या ऐसी रकम के संदाय के लिए लेनदार के अथवा उसके अभिकर्ता के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगी ;

(घ) उसमें उसके अनुपालन के लिए, ऋणी पर उसकी तामील के पश्चात् कम से कम एक मास की कालावधि या यदि उसकी ऐसे ऋणी पर तामील की जानी है, जो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, भारत के बाहर निवास कर रहा है, ऐसी कालावधि विनिर्दिष्ट होगी, (जो कम से कम एक मास हो) जो ऐसी सूचना की तामील के लिए इजाजत देने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ङ) उसमें सूचना के अनुपालन के परिणाम कथित होंगे ।

(4) कोई दिवाला-सूचना केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसमें डिक्री या आदेश के अधीन शोध्य रकम के रूप में विनिर्दिष्ट राशि वास्तव में शोध्य राशि से अधिक है, जब तक कि ऋणी दिवाला-सूचना में उसके अनुपालन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लेनदार को यह सूचना न दे कि दिवाला-सूचना में विनिर्दिष्ट राशि डिक्री या आदेश के अधीन शोध्य रकम को ठीक-ठीक नहीं बताती है :

परन्तु यह कि यदि ऋणी यथा उपर्युक्त कोई ऐसी सूचना नहीं देता है तो यह समझा जाएगा कि उसने दिवाला-सूचना का अनुपालन किया है यदि उसके अनुपालन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर वह ऐसे उपाय करता है जो, यदि शोध्य वास्तविक रकम उसमें ठीक-ठीक विनिर्दिष्ट की गई होती तो दिवाला-सूचना का अनुपालन समझे जाते ।

(5) कोई व्यक्ति, जिस पर दिवाला-सूचना की तामील की गई है, उसके अनुपालन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर न्यायालय को दिवाला-सूचना के अपास्त करने के लिए निम्नलिखित किसी आधार पर आवेदन कर सकता है, अर्थात् :—

(क) यह कि उसका लेनदार के विरुद्ध ऐसा प्रतिदावा या मुजरा का दावा है, जो कि डिक्री या आदेश के अधीन शोध्य रकम के बराबर है या उस रकम से अधिक है और जिसके लिए वह, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उस वाद या कार्यवाही में दावा नहीं कर सका था, जिसमें वह डिक्री या आदेश पारित किया गया था ;

(ख) यह कि वह ऋणग्रस्तता के अनुतोष के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन डिक्री या आदेश अपास्त कराने का हकदार है और यह कि :—

(i) उसने डिक्री या आदेश अपास्त किए जाने के लिए ऐसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया है; या

(ii) ऐसे आवेदन के लिए अनुज्ञात समय समाप्त नहीं हुआ है ;

(ग) यह कि डिक्री या आदेश आवेदन की तारीख को खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी विधि के उपबंधों के अधीन निष्पादनीय नहीं है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी अभिकर्ता का कार्य मालिक का कार्य हो सकता है, यद्यपि अभिकर्ता को वह कार्य करने का विनिर्दिष्ट प्राधिकार नहीं था ।[1]

न्यायनिर्णयन का आदेश

10. न्यायनिर्णयन की शक्ति—इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई ऋणी कोई दिवालिएपन का कार्य करता है तो, या तो लेनदार द्वारा या ऋणी द्वारा दिवाले की अर्जी पेश की जा सकती है, और न्यायालय ऐसी अर्जी पर उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत करते हुए आदेश (जिसे इसमें आगे न्यायनिर्णयन का आदेश कहा गया है) कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—ऋणी द्वारा अर्जी का पेश किया जाना इस धारा के अर्थान्तर्गत दिवालिएपन का कार्य समझा जाएगा, और ऐसी अर्जी पर न्यायालय न्यायनिर्णयन का आदेश कर सकता है ।

---

[1] केवल मुम्बई में लागू धारा 9क के लिए देखिए, प्रेसिडेंसी नगर दिवाला और प्रान्तीय दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1939 (1939 का मुम्बई अधिनियम सं० 15) की धारा 2 ।

11. अधिकारिता पर निर्बन्धन—न्यायालय को न्यायनिर्णयन का आदेश करने की अधिकारिता निम्नलिखित दशाओं में नहीं होगी :—

(क) जब दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने के समय, ऋणी धन के संदाय के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में ऐसे कारागार में, जिसमें न्यायालय द्वारा उसकी मामूली आरम्भिक अधिकारिता के प्रयोग में ऋणी साधारणत: सुपुर्द किए जाते हैं कारावास में है ; या

(ख) जब दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से पूर्व के एक वर्ष के अन्दर, ऋणी ने न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर सामान्यतया निवास किया है या उसका निवास गृह रखा है या स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से कारबार चलाया है ; या

(ग) जब ऋणी व्यक्तिगत रूप से उन सीमाओं के अन्दर अभिलाभ के लिए काम करता है ;

(घ) ऋणियों की फर्म द्वारा या के विरुद्ध अर्जी की दशा में फर्म ने उन सीमाओं के अन्दर दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से पूर्व के एक वर्ष के अन्दर कारबार चलाया है ।

12. वे शर्तें जिन पर लेनदार अर्जी दे सकता है—(1) लेनदार ऋणी के विरुद्ध निम्नलिखित दशाओं में ही दिवाले की अर्जी पेश करने का हकदार होगा :—

(क) ऋणी लेनदार को देय ऋण, या यदि दो या अधिक लेनदार अर्जी में संयुक्त हो जाते हैं तो, ऐसे लेनदारों को देय ऋण की कुल रकम पांच सौ रुपए है ; और

(ख) ऋण परिनिर्धारित राशि है जो या तो तुरन्त या तो किसी निश्चित भावी समय पर संदेय है ; और

(ग) दिवालिएपन का वह कार्य, जिस पर अर्जी आधारित है, अर्जी के पेश किए जाने के पूर्व तीन मास के अन्दर हुआ है :

[1][परन्तु जहां खण्ड (ग) में निर्दिष्ट तीन मास की उक्त कालावधि का अवसान ऐसे दिन होता है जब न्यायालय बन्द है, वहां दिवाले की अर्जी उस दिन पेश की जा सकती है जिस दिन न्यायालय पुन: खुलता है ।]

(2) यदि अर्जी देने वाला लेनदार प्रतिभूत लेनदार है, तो वह अपनी अर्जी में या तो यह कथन करेगा कि वह ऋणी के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने की दशा में लेनदारों के फायदे के लिए अपनी प्रतिभूति त्यागने के लिए रजामन्द है या वह प्रतिभूति के मूल्य का प्राक्कलन देगा । पश्चात्वर्ती दशा में वह, इस प्रकार प्राक्कलित मूल्य को घटाने के पश्चात् उसको शोध्य ऋण के अधिशेष के विस्तार तक के लिए अर्जी देने वाले लेनदार के रूप में ऐसे ग्रहण किया जा सकता है मानो वह अप्रतिभूत लेनदार है ।

13. लेनदार की अर्जी पर कार्यवाही और आदेश—(1) लेनदार की अर्जी, लेनदार के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के, जिसे तथ्यों की जानकारी है, शपथपत्र द्वारा सत्यापित की जाएगी ।

(2) न्यायालय सुनवाई में निम्नलिखित के सबूत की अपेक्षा करेगा :—

(क) अर्जी देने वाले लेनदार का ऋण, और

(ख) दिवालिएपन का कार्य या यदि अर्जी में एक से अधिक दिवालिएपन के कार्य अभिकथित हैं तो अभिकथित दिवालिएपन के कार्यों में से कोई एक ।

(3) न्यायालय अर्जी की सुनवाई स्थगित कर सकता है और ऋणी पर उसकी तामील का आदेश दे सकता है ।

(4) न्यायालय पिटीशन को खारिज कर देगा,—

(क) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तथ्यों के सबूत से उसका समाधान नहीं होता है, या

(ख) यदि ऋणी उपसंजात होता है और न्यायालय का समाधान कर देता है कि वह अपने ऋणों का संदाय करने में सक्षम है, या उसने दिवालिएपन का कार्य नहीं किया है या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए ।

(5) यदि ऊपर निर्दिष्ट सबूत से न्यायालय का समाधान हो गया है, या यदि उपधारा (3) के अधीन स्थगित सुनवाई में ऋणी उपसंजात नहीं होता है और उस पर अर्जी की तामील साबित हो जाती है, तो न्यायालय न्यायनिर्णयन का आदेश उसी दशा में कर सकता है जब उसकी यह राय हो कि अर्जी दिवाला विषयक अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जानी चाहिए थी ।

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।

(6) जहां अर्जी दी जाने पर ऋणी उपसंजात होता है और इस बात से इन्कार करता है कि वह अर्जीदार का ऋणी है या वह उतनी रकम के लिए ऋणी है जिससे अर्जीदार का उसके विरुद्ध अर्जी पेश करना न्यायोचित है, वहां न्यायालय, ऐसी प्रतिभूति (यदि कोई हो) दी जाने पर, जिसके लिए न्यायालय अर्जीदार को ऐसे ऋण जो विधि के सम्यक् अनुक्रम में ऋणी के विरुद्ध सिद्ध हो जाए, और ऋण को सिद्ध करने के खर्चे का संदाय किए जाने के लिए न्यायालय अपेक्षा करे कि अर्जी को खारिज करने की बजाए अर्जी पर सभी कार्यवाहियां ऐसे समय के लिए रोक सकता है, जो ऋण से सम्बन्धित प्रश्नों के विचारण के लिए आवश्यक हों ।

(7) जहां कार्यवाहियां रोकी जाती हैं, वहां यदि न्यायालय, कार्यवाहियों को रोकने से हुए विलम्ब के कारण या किसी अन्य हेतुक के कारण, न्यायोचित समझता है तो किसी अन्य लेनदार की अर्जी पर न्यायनिर्णयन का आदेश कर सकता है, और तब उस अर्जी को, जिस पर कार्यवाहियां यथापूर्वोक्त रोक दी गई थीं, ऐसे निबन्धनों पर, जिसे वह न्यायोचित समझे, खारिज कर सकता है ।

(8) लेनदार की अर्जी के पेश किए जाने के पश्चात् न्यायालय की इजाजत के बिना वापस नहीं ली जाएगी ।

14. शर्तें जिन पर ऋणी अर्जी दे सकता है—[1][(1)] कोई ऋणी दिवाले की अर्जी पेश करने का हकदार तभी होगा जब—

(क) उसके ऋण पांच सौ रुपए तक के हैं ; या

(ख) वह धन के संदाय के लिए किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार या कारावासित किया गया है ; या

(ग) ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध कुर्की का आदेश किया गया है और वह अस्तित्व में है ।

[2][(2) कोई ऋणी, जिसके सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन का आदेश, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन किया गया हो, उसके आवेदन करने में या अपने उन्मोचन के लिए आवेदन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण बातिल कर दिया गया है, उस न्यायालय की इजाजत के बिना, जिसके द्वारा न्यायनिर्णयन का आदेश बातिल किया गया था, दिवाले की अर्जी पेश करने का हकदार नहीं होगा । ऐसा न्यायालय तब तक इजाजत नहीं देगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि या तो ऋणी किसी युक्तियुक्त कारण से, यथास्थिति, अपना आवेदन प्रस्तुत करने या उस पर कार्यवाही करने से निवारित किया गया था, या अर्जी ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो उन तथ्यों से सारत: भिन्न है जो उस अर्जी में अन्तर्विष्ट हैं जिस पर न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया था ।]

15. ऋणी की अर्जी पर कार्यवाही और आदेश—(1) ऋणी की अर्जी में यह अभिकथित होगा कि ऋणी ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है और, यदि ऋणी यह साबित कर देता है कि वह अर्जी पेश करने का हकदार है तो, उस पर न्यायालय न्यायनिर्णयन का आदेश तभी कर सकता है जब कि उसकी यह राय न हो कि अर्जी दिवालिएपन की अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के समक्ष पेश की जानी चाहिए थी ।

(2) ऋणी की अर्जी के पेश किए जाने के पश्चात् न्यायालय की इजाजत के बिना वापस नहीं ली जाएगी ।

[3][(3) कोई ऋणी अपनी अर्जी ग्रहण करने का आदेश किए जाने पर—

(क) जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, अपनी सभी लेखा-बहियां पेश करेगा ; और

(ख) लेनदारों और ऋणियों की ऐसी सूचियां फाइल करेगा और न्यायालय को ऐसी सहायता देगा जो विहित की जाए, ऐसा न किए जाने पर न्यायालय उसकी पिटीशन खारिज कर सकता है ।]

16. अन्तरिम रिसीवर नियुक्त करने के बारे में वैवेकिक शक्ति—यदि यह दर्शित किया जाता है कि सम्पदा के संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो न्यायालय दिवाले की अर्जी पेश की जाने के पश्चात् और न्यायनिर्णयन का आदेश करने से पहले किसी भी समय, शासकीय समनुदेशिती को ऋणी की सम्पत्ति का, या उसके किसी भाग का अन्तरिम रिसीवर नियुक्त कर सकता है, और उसे उसका या उसके किसी भाग का तुरन्त कब्जा लेने का निदेश दे सकता है और तब शासकीय समनुदेशिती को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर को दी जा सकने वाली ऐसे शक्तियां होंगी जो विहित की जाएं ।

17. न्यायनिर्णयन के आदेश का प्रभाव—न्यायनिर्णयन का आदेश किए जाने पर, दिवालिए की सम्पत्ति, जहां कहीं भी स्थित हो शासकीय समनुदेशिती में निहित होगी और उसके लेनदारों में विभाज्य हो जाएगी और तत्पश्चात् इस अधिनियम में यथानिदेशित के सिवाय, किसी भी लेनदार को, जिसका दिवालिया दिवाले में साबित किए जा सकने वाले किसी ऋण की बाबत ऋणी है, दिवाले की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान उस ऋणी की बाबत दिवालिए की सम्पत्ति के विरुद्ध कोई उपचार नहीं पाएगा या कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न्यायालय की इजाजत और ऐसे निबन्धनों के सिवाय जो न्यायालय अधिरोपित करे, संस्थित नहीं करेगा :

---

[1] 1927 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 14 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।

[2] 1927 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1927 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी प्रतिभूत लेनदार की उसकी प्रतिभूति का उसी रीति से आपन करने की या उसके साथ अन्यथा व्यवहार करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी जिससे कि वह, यदि यह धारा पारित नहीं होती तो, आपन या अन्यथा व्यवहार करने का हकदार होता ।

18. कार्यवाहियों को रोकना—(1) न्यायालय, न्यायनिर्णयन के आदेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उस न्यायालय के किसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों के समक्ष या उस न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी अन्य न्यायालय में किसी वाद या अन्य कार्यवाही को, जो दिवालिए के विरुद्ध लम्बित है, रोक सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तामील, उसकी एक प्रति न्यायालय की मुद्रा अंकित करके डाक द्वारा वादी या ऐसा वाद या कार्यवाही चलाने वाले अन्य पक्षकार पर तामील के लिए पते पर भेज कर की जा सकती है, और ऐसे आदेश की सूचना उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसके समक्ष वाद या कार्यवाही लम्बित है ।

(3) कोई न्यायालय, जिसमें ऋणी के विरुद्ध कार्यवाहियां लम्बित हैं, यह साबित किए जाने पर कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है या तो कार्यवाहियां रोक सकता है या उन्हें ऐसे निबन्धनों पर चलते रहने के लिए अनुज्ञात कर सकता है जो वह न्यायोचित समझे ।

[1][**18क. अधीनस्थ न्यायालयों में दिवाले की कार्यवाहियों पर नियंत्रण**—(1) न्यायालय, दिवाले की अर्जी को पेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उस न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय में ऋणी के विरुद्ध लम्बित दिवाले की कार्यवाही को रोक सकता है, और न्यायनिर्णयन के आदेश के किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, ऐसे किसी न्यायालय द्वारा ऋणी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन को बातिल कर सकता है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन बातिल किया जाता है, वहां उस न्यायालय द्वारा जिसका आदेश बातिल किया जाता है या उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक्त: किए गए सम्पत्ति के सभी विक्रय और व्ययन और संदाय और किए गए सभी कार्य विधिमान्य होंगे, किन्तु ऐसे न्यायालय या रिसीवर में निहित सम्पत्ति शासकीय समनुदेशिती में निहित होगी और ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा के बारे में न्यायालय ऐसा निदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन बातिल करने वाले आदेश की सूचना राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित की जाएगी जो विहित की जाए ।

19. विशेष प्रबन्ध नियुक्त करने की शक्ति—(1) यदि किसी भी मामले में न्यायालय की, ऋणी की सम्पदा या कारबार की प्रकृति या लेनदारों के हितों का साधारणत: ध्यान रखते हुए, यह राय है कि शासकीय समनुदेशिती की सहायता करने के लिए सम्पदा या कारबार का विशेष प्रबंधक नियुक्त किया जाना चाहिए, तो न्यायालय तद्नुसार उसका ऐसे समय तक कार्य करने के लिए, जैसा न्यायालय प्राधिकृत करे, प्रबंधक नियुक्त कर सकता है, और प्रबन्धक को शासकीय समनुदेशिती की ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे शासकीय समनुदेशिती द्वारा न्यस्त की जाएं या जो न्यायालय निदेश करे ।

(2) विशेष प्रबन्धक ऐसी प्रतिभूति देगा और ऐसी रीति में लेखा देगा जो न्यायालय निदेश करे, और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो न्यायालय अवधारित करे ।

20. न्यायनिर्णयन के आदेश का विज्ञापन—प्रत्येक न्यायनिर्णयन के आदेश की सूचना में दिवालिए का नाम, पता और वर्णन, न्यायनिर्णयन की तारीख, न्यायनिर्णयन करने वाले न्यायालय और अर्जी के पेश किए जाने की तारीख का कथन करते हुए उसे [2]*** राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित किया जाएगा जो विहित की जाए ।

न्यायनिर्णयन का बातिलकरण

21. कतिपय मामलों में न्यायनिर्णयन को बातिल करने की न्यायालय की शक्ति—(1) जहां न्यायालय की राय में किसी ऋणी को दिवालिया न्यायनिर्णीत नहीं किया जाना चाहिए था या जहां न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि दिवालिए के ऋण पूर्णतया संदत्त कर दिए गए हैं वहां [3][न्यायालय किसी भी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर,] आदेश द्वारा न्यायनिर्णयन को बातिल करेगा, [4][और न्यायालय स्वप्रेरणा से या शासकीय समनुदेशिती या किसी लेनदार के आवेदन पर, ऐसे ऋणी की, जो धारा 14 की उपधारा (2) के उपबन्धों के कारण ऐसी अर्जी पेश करने का हकदार नहीं था, अर्जी पर किए गए न्यायनिर्णयन को बातिल कर सकता है ।]

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऋणी द्वारा विवादग्रस्त ऋण पूर्णतया संदत्त समझा जाएगा यदि ऋणी ऐसी रकम के लिए और ऐसी प्रतिभूतियों सहित, जिन्हें न्यायालय अनुमोदित करे, ऐसी राशि के खर्चे सहित संदाय के लिए, जो ऋण की वसूली के लिए या

---

[1] 1930 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र में और" शब्द निरसित ।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा "न्यायालय किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1927 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

उससे सम्बद्ध किसी कार्यवाही में वसूल की जानी हो, बन्धपत्र निष्पादित करता है, और किसी लेनदार को, जिसका पता नहीं चल पाता है या जिसे पहचाना नहीं जा सकता है, शोध्य ऋण पूर्णतया संदत्त समझा जाएगा यदि न्यायालय में संदत्त कर दिया जाए ।

22. भारत में न्यायालय में समवर्ती कार्यवाहियां—जहां न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि [1][भारत में] किसी अन्य [1][न्यायालय] में, चाहे राज्यों में या उनके बाहर, दिवाले की कार्यवाहियां उसी ऋण के विरुद्ध लम्बित है और ऋणी की सम्पत्ति ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा अधिक सुविधापूर्वक वितरित की जा सकती है, तो न्यायालय न्यायनिर्णयन को बातिल कर सकता है या उस पर सभी कार्यवाहियों को रोक सकता है ।

23. बातिलकरण होने पर कार्यवाहियां—(1) जहां कोई न्यायनिर्णयन बातिल किया जाता है वहां शासकीय समनुदेशिती द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या न्यायालय द्वारा सम्यक्त: किए गए सम्पत्ति के सभी विक्रय और व्ययन और संदाय और इससे पूर्व किए गए सभी कार्य विधिमान्य होंगे, किन्तु ऐसे ऋणी की, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत हो गया था, सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति में निहित होगी जिसे न्यायालय नियुक्त करे या ऐसी नियुक्ति के अभाव में ऋणी को उसमें अपने अधिकार या हित के विस्तार तक ऐसे निबन्धनों पर और ऐसी शर्तों के (यदि कोई हों) अधीन, जो न्यायालय आदेश द्वारा घोषित करे, प्रत्यावर्तित हो जाएगी ।

(2) जहां कोई ऋणी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिरक्षा से छोड़ दिया गया है और न्यायनिर्णयन का आदेश यथापूर्वोक्त बातिल कर दिया गया है, वहां न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, ऋणी को उसके पहले की अभिरक्षा में पुन: सुपुर्द कर सकता है, और जेलर या कारागारपाल, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा ऋणी इस प्रकार पुन: सुपुर्द किया जाता है, ऐसे ऋणी को अपनी अभिरक्षा में ऐसे पुन: सुपुर्दगी के अनुसार ग्रहण करेगा और तब सभी आदेशिकाएं जो ऐसे ऋणी के शरीर के विरुद्ध ऐसे छोड़े जाने के समय यथापूर्वोक्त लागू थीं उसके विरुद्ध तब भी लागू समझी जाएंगी मानो ऐसा आदेश नहीं किया गया था ।

(3) न्यायनिर्णयन को बातिल करने वाले आदेश की सूचना [2]*** राजपत्र में और ऐसी, अन्य रीति में प्रकाशित की जाएगी जो विहित की जाए ।

न्यायनिर्णयन के आदेश पर पारिणामिक कार्यवाहियां

24. दिवालिए की अनुसूची—(1) जहां किसी ऋणी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश दिया गया है वहां वह ऐसे प्ररूप में तथा अपने क्रियाकलापों की और उनके सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियों सहित, जो विहित की जाएं, शपथपत्र द्वारा सत्यापित एक अनुसूची तैयार करेगा और न्यायालय में प्रस्तुत करेगा ।

(2) अनुसूची निम्नलिखित समय के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि आदेश ऋणी की अर्जी पर दिया गया है तो आदेश की तारीख से तीस दिनों के अन्दर ;

(ख) यदि आदेश लेनदार की अर्जी पर दिया गया है तो आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों के अन्दर ।

(3) यदि दिवालिया इस धारा की अपेक्षाओं का पालन करने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहता है तो न्यायालय शासकीय समनुदेशिती या किसी लेनदार के आवेदन पर सिविल कारावास में उसकी सुपुर्दगी का आदेश दे सकता है ।

(4) यदि दिवालिया यथापूर्वोक्त कोई अनुसूची तैयार करने और प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो शासकीय समनुदेशिती, सम्पदा के खर्चे पर, विहित रीति में ऐसी अनुसूची तैयार करा सकता है ।

25. संरक्षण आदेश—(1) कोई दिवालिया, जिसने यथापूर्वोक्त अपनी अनुसूची प्रस्तुत कर दी है, न्यायालय को, संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, और न्यायालय ऐसे आवेदन पर दिवालिए की गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण के लिए आदेश कर सकता है ।

(2) संरक्षण-आदेश या तो अनुसूची में उल्लिखित सभी ऋणों को या उनमें से किसी को, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, लागू हो सकता है, और ऐसे समय से प्रारंभ और ऐसे समय के लिए प्रभावी हो सकता है जो न्यायालय निदेश करे और इस प्रकार प्रतिसंहृत और नवीकृत किया जा सकता है जैसा कि न्यायालय ठीक समझे ।

(3) संरक्षण-आदेश दिवालिए का, किसी ऋण के लिए, जिसे ऐसा आदेश लागू होगा, गिरफ्तार किए जाने या कारावास में निरुद्ध किए जाने से संरक्षण करेगा, और ऐसे आदेश के निबंधनों के विरुद्ध गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया दिवालिया अपने छुटकारे का हकदार होगा :

परन्तु ऐसे आदेश के प्रतिसंहृत किए जाने या न्यायनिर्णयन के बातिल किए जाने की दशा में किसी लेनदार के अधिकार पर ऐसे किसी आदेश का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र में और" शब्द निरसित ।

(4) कोई लेनदार उपसंजात होने और संरक्षण-आदेश के दिए जाने का विरोध करने का हकदार होगा, किन्तु दिवालिया शासकीय समनुदेशिती द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र पेश करने पर कि उसने अब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप कार्य किया है ऐसा आदेश पाने का प्रथमदृष्ट्या हकदार होगा ।

(5) यदि न्यायालय लेनदारों के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह दिवालिए द्वारा अपनी अनुसूची प्रस्तुत किए जाने के पहले संरक्षण-आदेश कर सकता है ।

26. लेनदारों का अधिवेशन—(1) न्यायालय, किसी दिवालिए के विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय, किसी लेनदार या शासकीय समनुदेशिती के आवेदन पर यह निदेश दे सकता है कि दिवाले की परिस्थितियों और दिवालिए की अनुसूची और उसका तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण और साधारणत: दिवालिए की सम्पत्ति के विषय में संव्यवहार करने की रीति के बारे में विचार करने के लिए लेनदारों का अधिवेशन किया जाएगा ।

(2) लेनदारों का अधिवेशन बुलाने के और उसमें कार्यवाहियों के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के नियमों का अनुपालन किया जाएगा ।

27. दिवालिए की सार्वजनिक परीक्षा—(1) जहां न्यायालय न्यायनिर्णयन का आदेश करता है वहां वह न्यायालय द्वारा नियत किसी दिन दिवालिए की परीक्षा के लिए सार्वजनिक बैठक करेगा जिसकी सूचना लेनदारों को विहित रीति में दी जाएगी और दिवालिया उसमें हाजिर होगा और उसके आचरण, व्यवहार और सम्पत्ति के बारे में उसकी परीक्षा होगी ।

(2) परीक्षा दिवालिए की अनुसूची फाइल करने के समय के अवसान के पश्चात् सुविधानुसार यथाशीघ्र की जाएगी ।

(3) कोई भी लेनदार, जिसने सबूत दिया है, या उसकी ओर से कोई विधि व्यवसायी दिवालिए से उसके क्रियाकलापों और उसकी असफलता के कारणों के बारे में प्रश्न कर सकता है ।

(4) शासकीय समनुदेशिती दिवालिए की परीक्षा में भाग लेगा; और उस प्रयोजन के लिए, विधि व्यवसायी द्वारा उसका प्रतिनिधित्व ऐसे निदेशों के अधीन, जो न्यायालय दे, किया जा सकता है ।

(5) न्यायालय दिवालिए से ऐसे प्रश्न करेगा जो वह समीचीन समझे ।

(6) दिवालिए की परीक्षा शपथ पर की जाएगी, और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे जो न्यायालय उससे करे या उससे करने के लिए अनुज्ञात करे । परीक्षा के ऐसे टिप्पण, जो न्यायालय उचित समझे, लेखबद्ध किए जाएंगे और या तो दिवालिए द्वारा पढ़े जाएंगे या उसे पढ़कर सुना दिए जाएंगे और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और तब वे उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं और किसी लेनदार द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर उनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

(7) जहां न्यायालय की यह राय है कि दिवालिए के क्रियाकलापों का पर्याप्त अन्वेषण हो गया है, वहां वह आदेश द्वारा घोषित करेगा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है, किन्तु ऐसे आदेश से न्यायालय, जब कभी वह ऐसा करना ठीक समझे, दिवालिए की और परीक्षा का निदेश देने से प्रवारित नहीं हो जाएगा ।

(8) जहां दिवालिया पागल है या किसी मानसिक या शारीरिक व्याधि या नि:शक्तता से ग्रस्त है, जो न्यायालय की राय में उसे सार्वजनिक परीक्षा में हाजिर होने के लिए अयोग्य कर देती है, या कोई स्त्री है जिसे देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए वहां वह न्यायालय ऐसी परीक्षा से अभिमुक्त करते हुए या यह निदेश देते हुए आदेश कर सकता है कि दिवालिए की परीक्षा ऐसे निबन्धनों के अनुसार, ऐसी रीति में और ऐसे स्थान पर की जाएगी जो न्यायालय को समीचीन प्रतीत हो ।

समझौता और प्रबन्ध योजना

28. प्रस्थापनाओं का प्रस्तुतीकरण और लेनदारों द्वारा प्रतिग्रहण—(1) न्यायनिर्णयन का आदेश किए जाने के पश्चात् किसी समय कोई दिवालिया अपने ऋणों की पुष्टि में समझौते के लिए या अपने क्रियाकलापों की प्रबन्ध योजना के लिए प्रस्थापना विहित प्ररूप में प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसी प्रस्थापना शासकीय समनुदेशिती द्वारा लेनदारों को अधिवेशन में प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) शासकीय समनुदेशिती प्रत्येक लेनदार को, जो अनुसूची में उल्लिखित है या जिसने अधिवेशन के पहले सबूत दे दिया है, दिवालिए की प्रस्थापनाओं की एक प्रति उस रिपोर्ट सहित भेजेगा और ऐसी प्रस्थापना पर विचार करने पर ऐसे सभी लेनदारों में से, जिनका ऋण साबित हो गया है, बहुसंख्यक और मूल्य में तीन चौथाई लेनदार प्रस्ताव प्रतिग्रहण करने का संकल्प करते हैं तो वह लेनदारों द्वारा सम्यक्त: प्रतिगृहीत समझा जाएगा ।

(3) दिवालिया, अधिवेशन में अपनी प्रस्थापना के निबन्धनों का संशोधन कर सकता है यदि शासकीय समनुदेशिती की राय में वह संशोधन लेनदारों के साधारण निकाय के फायदे के लिए प्रकल्पित है ।

(4) कोई लेनदार, जिसने अपना ऋण साबित कर दिया है, विहित प्ररूप में शासकीय समनुदेशिती को सम्बोधित पत्र द्वारा, जो उसे अधिवेशन के पूर्ववर्ती दिन तक प्राप्त हो जाए, प्रस्थापना से अनुमत या विसम्मत हो सकता है, और ऐसी अनुमति या विसम्मति का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो लेनदार अधिवेशन में उपस्थित था और उसने मतदान किया था ।

29. न्यायालय द्वारा प्रस्थापना का अनुमोदन—(1) लेनदारों द्वारा प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के पश्चात् दिवालिया या शासकीय समनुदेशिती न्यायालय को उसके अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है, और आवेदन की सुनवाई के लिए नियत समय की सूचना प्रत्येक लेनदार को, जिसने साबित कर दिया है, दी जाएगी ।

(2) उस दशा के सिवाय जहां कोई संपदा संक्षेपत: प्रशासित की जा रही है या न्यायालय की विशेष इजाजत अभिप्राप्त कर ली गई है, आवेदन तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक कि दिवालिए की सार्वजनिक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती । कोई लेनदार, जिसने साबित कर दिया है, आवेदन के विरोध में इस बात के होते हुए भी न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है कि उसने लेनदारों के अधिवेशन में प्रस्थापना के प्रतिग्रहण किए जाने के लिए मतदान किया है ।

(3) न्यायालय प्रस्थापना का अनुमोदन करने के पूर्व उसके निबन्धनों के बारे में और दिवालिए के आचरण के बारे में शासकीय समनुदेशिती की रिपोर्ट और लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले आक्षेप सुनेगा ।

(4) जहां न्यायालय की यह राय है कि प्रस्थापना के निबन्धन युक्तियुक्त नहीं हैं या लेनदारों के साधारण निकाय के फायदे के लिए प्रकल्पित नहीं हैं वहां या किसी ऐसे मामले में, जिसमें न्यायालय से यह अपेक्षा है कि वह दिवालिए की उन्मुक्ति से इंकार करेगा, न्यायालय प्रस्थापना का अनुमोदन करने से इंकार करेगा ।

(5) जहां कोई ऐसे तथ्य साबित हो जाते हैं जिनके साबित होने पर न्यायालय से या तो ऋणी के उन्मोचन से इंकार करने की, उसे निलम्बित करने की या उसमें शर्तें संलग्न करने की अपेक्षा है, वहां न्यायालय प्रस्थापना का अनुमोदन करने से इंकार करेगा जब तक कि वह ऋणी की संपदा के विरुद्ध साबित किए जा सकने वाले सभी अप्रतिभूत ऋणों पर रुपए में चार आने से अन्यून संदाय के लिए युक्तियुक्त प्रतिभूति का उपबन्ध नहीं करता है ।

(6) न्यायालय किसी ऐसे समझौते या योजना का अनुमोदन नहीं करेगा जो अन्य ऋणों से पूर्विकता में उन सभी ऋणों के संदाय का उपबन्ध नहीं करता है जो किसी दिवालिए की सम्पत्ति के वितरण में इस प्रकार संदाय करने के लिए निदेशित है ।

(7) न्यायालय किसी अन्य दशा में या तो प्रस्थापना का अनुमोदन कर सकता है या अनुमोदन करने से इंकार कर सकता है ।

30. अनुमोदन होने पर आदेश—(1) यदि न्यायालय प्रस्थापना का अनुमोदन करता है तो निबन्धन न्यायालय के आदेश में सन्निविष्ट किए जाएंगे और न्यायनिर्णयन को बातिल करने वाला आदेश किया जाएगा, और तब धारा 23 की उपधारा (1) और (3) के उपबन्ध लागू होंगे, और समझौता या योजना सभी लेनदारों को वहां तक आबद्धकर होगी जहां तक वे दिवालिए से उनको शोध्य किसी ऋण से, जो दिवाले में साबित किया जा सकता है, सम्बन्धित हैं ।

(2) समझौता या योजना के उपबन्ध न्यायालय द्वारा किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर लागू किए जा सकते हैं, और आवेदन पर किए गए न्यायालय के आदेश की अवज्ञा को न्यायालय का अवमान समझा जाएगा ।

31.ऋणी को दिवालिया पुन: न्यायनिर्णीत करने की शक्ति—(1) यदि यथापूर्वोक्त अनुमोदित किसी समझौता या योजना के अनुसरण में शोध्य किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम किया जाता है, या यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौता या योजना अन्याय या असम्यक् विलम्ब के बिना नहीं चल सकती है या न्यायालय का अनुमोदन कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर, ऋणी को दिवालिया पुन: न्यायनिर्णीत कर सकता है और समझौता या योजना को बातिल कर सकता है और तब ऋणी की सम्पदा शासकीय समनुदेशिती में निहित हो जाएगी किन्तु यह इस प्रकार होगा कि समझौता या योजना के अनुसरण में या उसके अधीन सम्यक्त: किए गए किसी अन्तरण या संदाय या सम्यक्त: की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(2) जहां कोई ऋणी उपधारा (1) के अधीन दिवालिया पुन: न्यायनिर्णीत किया जाता है, वहां अन्य बातों में साबित किए जा सकने वाले सभी ऋण, जो ऐसे पुन: न्यायनिर्णयन की तारीख से पहले लिए गए हैं, दिवाले में साबित किए जा सकेंगे ।

32. समझौता या योजना के प्रभाव का परिसीमन—किसी समझौता या योजना के प्रतिग्रहण और अनुमोदन के होते हुए भी वह समझौता या योजना किसी लेनदार पर, जहां तक उस ऋण या दायित्व का संबंध है, आबद्धकर नहीं होगी जिससे, वह दिवालिया अधिनियम के उपबंधों के अधीन, दिवाला-उन्मुक्ति-आदेश से तभी उन्मुक्त होगा जब लेनदार समझौता या योजना को अनुमति प्रदान कर दे ।

दिवालिए के शरीर और सम्पत्ति पर नियंत्रण

33. दिवालिए के सम्पत्ति के प्रकटीकरण और आपन के बारे में कर्तव्य—(1) प्रत्येक दिवालिया, जब तक कि वह बीमारी या अन्य पर्याप्त कारण से रोका न गया हो, लेनदारों के ऐसे अधिवेशन में हाजिर होगा जिसमें शासकीय समनुदेशिती उससे हाजिर होने की अपेक्षा करे, और ऐसी परीक्षा के लिए समर्पण करेगा और ऐसी जानकारी देगा जिसकी अधिवेशन अपेक्षा करे ।

(2) दिवालिया—

(क) अपनी सम्पत्ति की ऐसी तालिका, अपने लेनदारों और ऋणियों की, और उनको या उनसे शोध्य या देय ऋणों की ऐसी सूची देगा ;

(ख) अपनी सम्पत्ति और अपने लेनदारों की बाबत ऐसी परीक्षा के लिए समर्पण करेगा ;

(ग) शासकीय समनुदेशिती या विशेष प्रबन्धक के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित रहेगा ;

(घ) ऐसे मुख्तारनामे, अन्तरण और लिखत निष्पादित करेगा ; और

(ङ) साधारणत: अपनी सम्पत्ति और उसके आगमों के लेनदारों के मध्य वितरण के संबंध में ऐसे सभी कार्य और ऐसी सभी बातें करेगा,

जो शासकीय समनुदेशिती या विशेष प्रबन्धक द्वारा अपेक्षित हों या न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट मामले के निर्देश में दिए गए, या शासकीय समनुदेशिती अथवा विशेष प्रबन्धक, या किसी लेनदार अथवा हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विशेष आवेदन किए जाने पर दिए गए विशेष आदेश या आदेशों द्वारा विहित या निदेशित हो ।

(3) दिवालिया अपनी अधिकतम शक्ति से, अपनी सम्पत्ति के आपन और अपने लेनदारों में आगमों के वितरण के लिए सहायता करेगा ।

(4) यदि दिवालिया इस धारा द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में, या उसकी सम्पत्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन उसके लेनदारों में विभाज्य है और जो तत्समय उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन है, किसी भाग को शासकीय समनुदेशिती के कब्जे में देने में जानबूझकर असफल रहता है तो, वह किसी अन्य दंड के अतिरिक्त, जिससे वह दण्डनीय है, न्यायालय के अवमान का दोषी होगा और तद्नुसार दण्डित किया जा सकेगा ।

34. दिवालिए की गिरफ्तारी—(1) न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में, या तो स्वप्रेरणा से या शासकीय समनुदेशिती अथवा किसी लेनदार की प्रेरणा पर पुलिस अधिकारी या न्यायालय के विहित अधिकारी को सम्बोधित वारण्ट द्वारा, दिवालिए को गिरफ्तार और सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकेगा या यदि वह कारागार में है तो तब तक निरुद्ध करा सकेगा जब तक न्यायालय आदेश न करे, अर्थात् :—

(क) यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का अधिसम्भाव्य कारण है कि अपने क्रियाकलापों की बाबत परीक्षा से बचने की, या अपने विरुद्ध दिवाले की कार्यवाहयों से बचने, उसमें विलम्ब करने या उलझन डालने की दृष्टि से वह फरार हो गया है या फरार होने वाला है ; या

(ख) यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का अधिसम्भाव्य कारण है कि शासकीय समनुदेशिती को कब्जा लेने से रोकने या विलम्ब करने की दृष्टि से वह अपनी सम्पत्ति हटाने वाला है, या यह विश्वास करने का अधिसम्भाव्य कारण है कि वह अपनी सम्पत्ति में से किसी को या किन्हीं बहियों, दस्तावेजों या लिखतों को जो दिवाले के अनुक्रम में उसके लेनदारों के लिए उपयोगी हो सकती हैं उसने छिपा दिया है या छिपाने या नष्ट करने वाला है; या

(ग) यदि वह पचास रुपए से अधिक मूल्य की अपने कब्जे की किसी सम्पत्ति को बिना शासकीय समनुदेशिती की इजाजत के हटाता है ।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात् किया गया कोई संदाय या समझौता या दी गई कोई प्रतिभूति इस अधिनियम के कपटपूर्ण अधिमानों से सम्बन्धित उपबन्धों से छूट प्राप्त नहीं होगा ।

35. पत्रों को पता बदलकर भेजना—जहां शासकीय समनुदेशिती अन्तरिम रिसीवर नियुक्त किया गया है या न्यायनिर्णयन का आदेश दिया गया है, वहां न्यायालय शासकीय समनुदेशिती के आवेदन पर, समय-समय पर, ऐसे समय के लिए जो न्यायालय ठीक समझे और जो तीन मास से अनधिक हो, यह आदेश दे सकता है कि ऋणी को किसी भी स्थान पर या पता बदलकर भेजने के आदेश में उल्लिखित स्थान पर भेजी गई सभी डाक चिट्ठियां, चाहे रजिस्ट्रीकृत हों या अरजिस्ट्रीकृत, पार्सल और धनादेश, राज्यों में डाक प्राधिकारियों द्वारा शासकीय समनुदेशिती को पता बदलकर भेजी जाएंगी या परिदत्त की जाएंगी या अन्यथा जैसा न्यायालय निदेश करे ; और यह तद्नुसार किया जाएगा ।

36. दिवालिए की सम्पत्ति का प्रकटीकरण—(1) न्यायालय, शासकीय समनुदेशिती या किसी लेनदार के, जिसने अपना ऋण साबित कर दिया है, आवेदन पर, न्यायनिर्णयन का आदेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, ऐसे रीति में जो विहित की जाए दिवालिए को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में यह ज्ञात है या सन्देह है कि उसके कब्जे में दिवालिए की कोई सम्पत्ति है, या जिसके बारे में अनुमान है कि वह दिवालिए का ऋणी है, या किसी व्यक्ति को, जिसे न्यायालय दिवालिए, उसके व्यवहार या उसकी सम्पत्ति की बाबत

जानकारी देने की क्षमता रखने वाला समझे, अपने समक्ष समन कर सकता है ; और न्यायालय, ऐसे किसी व्यक्ति से उसकी अभिरक्षा या शक्ति में दिवालिए, उसके व्यवहार या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) यदि इस प्रकार समनित कोई व्यक्ति युक्तियुक्त राशि निविदत्त करने के पश्चात् नियत समय पर न्यायालय के समक्ष आने से इंकार करता है या ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इन्कार करता है, जिसके लिए बैठक के समय न्यायालय को ज्ञात कराई गई और उसके द्वारा अनुज्ञात कोई विधिपूर्ण अड़चन नहीं है तो, न्यायालय वारण्ट द्वारा उसे पकड़वा सकता है और परीक्षा के लिए बुलवा सकता है ।

(3) न्यायालय अपने समक्ष इस प्रकार लाए गए किसी व्यक्ति की दिवालिए, उसके व्यवहार या सम्पत्ति के संबंध में परीक्षा कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति का विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ।

(4) [1][यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा में यह स्वीकार करता है] कि वह दिवालिए का ऋणी है तो न्यायालय, शासकीय समनुदेशिती के आवेदन पर, उसे यह आदेश दे सकता है कि वह शासकीय समनुदेशिती को ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जैसा न्यायालय को समीचीन प्रतीत हो, वह रकम जिसका वह ऋणी है या उसका कोई भाग, या तो पूर्ण रकम की पूर्ण तुष्टि में या नहीं, जैसा न्यायालय ठीक समझे, परीक्षा के खर्चे सहित या उसके बिना संदाय करे ।

(5) [1][यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा में यह स्वीकार करता है] कि उसके कब्जे में दिवालिए की कोई सम्पत्ति है तो, न्यायालय शासकीय समनुदेशिती के आवेदन पर उसे यह आदेश कर सकता है कि वह शासकीय समनुदेशिती को वह सम्पत्ति, या उसका कोई भाग, ऐसे समय पर और ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों पर, जो न्यायालय न्यायोचित समझे, परिदत्त करे ।

(6) उपधारा (4) और (5) के अधीन दिए गए आदेश उसी रीति से निष्पादित किए जाएंगे जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन क्रमश: धन के संदाय के लिए या सम्पत्ति परिदान के लिए डिक्रियां की जाती हैं ।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में संदाय या परिदान करता है, ऐसे संदाय या परिदान द्वारा ऐसे ऋणों या सम्पत्ति के संबंध में सभी दायित्वों से चाहे जो हों उन्मुक्त किया जाएगा ।

37. कमीशन जारी करने की शक्ति—न्यायालय को धारा 36 के अधीन परीक्षा के लिए दायी किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के लिए या अन्यथा कमीशन और अनुरोध पत्र जारी करने की वही शक्तियां होंगी जो उसकी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन साक्षियों की परीक्षा के लिए हैं ।

दिवालिए का उन्मोचन

38. दिवालिए का उन्मोचन—(1) कोई दिवालिया, न्यायनिर्णयन के आदेश के पश्चात् किसी भी समय, न्यायालय को उन्मोचन के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है, और न्यायालय आवेदन की सुनवाई के लिए एक दिन नियत करेगा, किन्तु उस दशा के सिवाय जहां दिवालिए की सार्वजनिक परीक्षा को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिमुक्त कर दिया गया है, आवेदन की सुनवाई ऐसी परीक्षा के समाप्त होने तक नहीं की जाएगी । आवेदन की सुनवाई खुले न्यायालय में की जाएगी ।

(2) आवेदन की सुनवाई पर, न्यायालय, दिवालिए के आचरण और क्रियाकलापों के बारे में शासकीय समनुदेशिती की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा और धारा 39 के उपबन्धों के अधीन,—

(क) उन्मोचन का आत्यंतिक आदेश प्रदान कर सकता है या प्रदान करने से इंकार कर सकता है ; या

(ख) आदेश के प्रवर्तन को किसी विनिर्दिष्ट समय के लिए निलम्बित कर सकता है ; या

(ग) ऐसे उपार्जन या आय के सम्बन्ध में, जो दिवालिए को बाद में शोध्य हो जाए, या उसकी पश्चात्-अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों के अधीन उन्मोचन का आदेश प्रदान कर सकता हैं ।

39. मामले जिनमें न्यायालय को आत्यन्तिक उन्मोचन से इंकार करना ही चाहिए—(1) उन सभी मामलों में जहां दिवालिए ने इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 421 से 424 के अधीन कोई अपराध किया है, न्यायालय उन्मोचन से इंकार करेगा और इसके पश्चात् लिखित तथ्यों में से किसी के साबित होने पर, या तो—

(क) उन्मोचन से इंकार करेगा ; या

(ख) विनिर्दिष्ट समय के लिए उन्मोचन को निलम्बित करेगा ; या

(ग) उन्मोचन को निलम्बित करेगा जब तक रुपए में चार आने से अन्यून भाग देय लेनदारों को संदत्त नहीं कर दिया जाता है ; या

---

[1] 1927 के अधिनियम सं० 19 की धारा 4 द्वारा "ऐसे किसी व्यक्ति की परीक्षा से, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) उन्मोचन की शर्त के रूप में दिवालिए से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने विरुद्ध शासकीय समनुदेशिती के पक्ष में दिवाले के अधीन साबित किए जा सकने वाले ऋणों के अतिशेष या अतिशेष के भाग के लिए जो उसके उन्मोचन की तारीख को चुकाया नहीं गया है डिक्री पारित किए जाने के लिए सम्मति दे ; ऐसे ऋणों का अतिशेष या अतिशेष का भाग दिवालिए के भविष्यत् उपार्जनों या पश्चात् अर्जित सम्पत्ति में से ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन संदत्त किया जाएगा जैसा न्यायालय निदेश दे ; किन्तु उस दशा में न्यायालय की इजाजत के बिना डिक्री निष्पादित नहीं कि जाएगी, यह इजाजत इस सबूत पर दी जा सकती है कि दिवालिए ने अपनी उन्मुक्ति के बाद अपने ऋणों के संदाय के लिए उपलभ्य सम्पत्ति या आय अर्जित की है ।

(2) इसके पूर्व निर्दिष्ट तथ्य निम्नलिखित हैं :—

(क) कि दिवालिए की आस्तियां उसके अप्रतिभूत दायित्वों की रकम की तुलना में, मूल्य में रुपए में चार आने के बराबर नहीं हैं, जब तक कि वह न्यायालय का यह समाधान नहीं करता है कि यह तथ्य कि वे आस्तियां ऐसे मूल्य की नहीं हैं, ऐसी परिस्थितियों से उद्भूत हुआ है जिसके लिए न्यायत: उसे उत्तरदायी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है ;

(ख) कि दिवालिए ने ऐसी लेखा-बहियां नहीं रखी हैं जो उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार में प्रायिक और उचित हैं और जो उसके दिवाले से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के अन्दर उसके कारबारी संव्यवहारों और वित्तीय स्थिति को पर्याप्तत: प्रकट करें ;

(ग) कि दिवालिया यह जानने के बाद कि वह दिवालिया है व्यापार करता रहा है ;

(घ) कि दिवालिए ने इस अधिनियम के अधीन साबित किया जा सकने वाला ऋण उसके लेने के समय इस प्रत्याशा के किसी युक्तियुक्त या अधिसम्भाव्य आधार के बिना (जिसे साबित करने का भार उस पर होगा) लिया है, कि वह उसे संदाय करने में समर्थ होगा ;

(ङ) कि दिवालिया आस्तियों की हानि के लिए या उसके दायित्वों को चुकाने के लिए आस्तियों में कमी के लिए समाधानप्रद लेखा देने में असफल रहा है ;

(च) कि दिवालिए ने अन्धाधुन्ध और परिसंकटमय सट्टे द्वारा या रहन-सहन में अपव्यय द्वारा, जो उचित नहीं था, या जुए द्वारा, या अपने कारबारी क्रियाकलापों की दोषपूर्ण उपेक्षा द्वारा, अपने को दिवालिया कर लिया है या ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने का कार्य किया है ;

(छ) कि दिवालिए ने अपने विरुद्ध उचित रूप से लाए गए किसी वाद में तुच्छ या तंग करने वाले प्रतिवाद द्वारा अपने किसी लेनदार का अनावश्यक व्यय कराया है ;

(ज) कि दिवालिए ने अर्जी के पेश किए जाने के समय से पूर्ववर्ती तीन मास के अन्दर तुच्छ या तंग करने वाला वाद लाकर अनुचित व्यय किया है ;

(झ) कि दिवालिए ने अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन मास के अन्दर, जब वह अपने ऋणों का जैसे-जैसे वे शोध्य होते जाते हैं, संदाय करने में असमर्थ था, अपने किसी ऋणी को असम्यक् अधिमान दिया है ;

(ञ) कि दिवालिए ने अपनी बहियां या अपनी सम्पत्ति या उनका कोई भाग छिपाया है अथवा हटाया है या वह किसी अन्य कपट या कपटपूर्ण न्यायसभंग का दोषी है ।

(3) दिवालिए के उन्मोचन को निलम्बित करने और शर्तें लगाने की शक्तियों का उपयोग साथ-साथ किया जा सकता है ।

(4) उन्मोचन के आवेदन में, शासकीय समनुदेशिती की रिपोर्ट प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी और न्यायालय उसमें अन्तर्विष्ट किसी कथन के सही होने की उपधारणा कर सकता है ।

40. उन्मोचन के लिए आवेदन की सुनवाई—न्यायालय द्वारा उन्मोचन के लिए आवेदन की सुनवाई का दिन नियत किए जाने की सूचना विहित रीति से प्रकाशित की जाएगी और प्रत्येक लेनदार को, जिसने साबित किया है, इस प्रकार नियत दिन से कम से कम एक मास पहले भेजी जाएगी, और न्यायालय शासकीय समनुदेशिती को सुन सकता है और किसी अन्य लेनदार को भी सुन सकता है । सुनवाई में, न्यायालय दिवालिए से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है और ऐसा साक्ष्य ग्रहण कर सकता है जो वह ठीक समझे ।

41. उन्मोचन के लिए आवेदन करने में असफल रहने पर न्यायनिर्णयन को बातिल करने की शक्ति—यदि कोई दिवालिया उन्मोचन के लिए अपने आवेदन की सुनवाई के लिए इस प्रकार नियत दिन उपसंजात नहीं होता है या यदि कोई दिवालिया ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाए, न्यायालय को उन्मोचन के आदेश के लिए आवेदन नहीं करता है तो, न्यायालय शासकीय समनुदेशिती के या किसी लेनदार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, न्यायनिर्णयन को बातिल कर सकता है या ऐसा आदेश कर सकता है, जो ठीक समझे, और ऐसे बातिलकरण पर धारा 23 के उपबन्ध लागू होंगे ।

42. आवेदन का नवीकरण और आदेश के निबन्धनों में परिवर्तन—(1) जहां न्यायालय दिवालिए की उन्मुक्ति से इंकार करता है वहां, ऐसे समय के पश्चात् और ऐसी परिस्थितियों में, जो विहित की जाएं, उसे अपने आवेदन के नवीकरण की अनुज्ञा दे सकता है ।

(2) जहां उन्मोचन का आदेश, शर्तों के अधीन किया गया है और आदेश की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी भी समय दिवालिया न्यायालय का यह समाधान करता है कि आदेश के निबन्धनों का पालन करने की स्थिति में उसके होने की कोई युक्तियुकत संभाव्यता नहीं है, वहां न्यायालय आदेश या किसी प्रतिस्थापित आदेश के निबन्धनों को, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, उपान्तरित कर सकता है ।

43. उन्मुक्त दिवालिए का सम्पत्ति के आपन में सहायता करने का कर्तव्य—कोई उन्मुक्त दिवालिया अपने उन्मोचन के होते हुए भी अपनी उस सम्पत्ति के, जो शासकीय समनुदेशिती में निहित है, आपन और वितरण में ऐसी सहायता देगा, जो शासकीय समनुदेशिती अपेक्षा करे, और, यदि वह इस प्रकार करने में असफल रहता है, तो वह न्यायालय के अवमान का दोषी होगा ; और न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, उन्मोचन के पश्चात्, किन्तु उसके प्रतिसंहरण के पूर्व, सम्यक्त: किए गए किसी विक्रय, व्ययन या संदाय या की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके उन्मोचन का प्रतिसंहरण भी कर सकता है ।

44. कपटपूर्ण व्यवस्थापन—निम्नलिखित दोनों दशाओं में से किसी में, अर्थात् : —

(1) विवाह के पूर्व और विवाह के प्रतिफलस्वरूप किए गए व्यवस्थापन की दशा में जहां व्यवस्थापनकर्ता व्यवस्थापन करने के समय, व्यवस्थापन में समाविष्ट सम्पत्ति की सहायता के बिना, अपने सभी ऋणों का संदाय करने में समर्थ नहीं है, या

(2) व्यवस्थापनकर्ता की पत्नी या संतान के लिए या उन पर किसी धन या सम्पत्ति के, जिसमें उसकी विवाह की तारीख को कोई सम्पदा या हित नहीं था (जो उसकी पत्नी का या उसकी पत्नी के अधिकार का धन या सम्पत्ति नहीं है) भविष्यत् व्यवस्थापन के लिए विवाह के प्रतिफलस्वरूप की गई किसी प्रसंविदा या संविदा की दशा में,

यदि व्यवस्थापनकर्ता दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या अपने लेनदारों के साथ समझौता या प्रबन्ध करता है, और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि व्यवथापन, प्रसंविदा या संविदा लेनदारों को विफल या देरी करने के लिए की गई थी, या जब वह की गई थी उस समय व्यवस्थापनकर्ता के क्रियाकलापों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत नहीं था, तो न्यायालय उन्मुक्ति के आदेश से इंकार कर सकता है अथवा उसे निलंबित कर सकता है या शर्तों के अधीन अनुदत्त कर सकता है या समझौते अथवा प्रबन्ध का अनुमोदन करने से इंकार कर सकता है ।

45. उन्मोचन के आदेश का प्रभाव—(1) उन्मोचन का आदेश दिवालिए को निम्नलिखित से छुटकारा नहीं देगा :—

(क) सरकार को शोध्य कोई ऋण ;

(ख) कोई ऋण या दायित्व, जो ऐसे कपट द्वारा या कपटपूर्ण न्यासभंग द्वारा जिसमें वह पक्षकार था उपगत हुआ है ; या

(ग) कोई ऋण या दायित्व जिसकी बाबत उसने कपट से, जिसमें वह पक्षकार था, प्रविरति अभिप्राप्त कर ली है ; या

(घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 488 के अधीन किए गए भरण-पोषण के आदेश के अधीन कोई दायित्व ।

(2) उपधारा (1) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, उन्मोचन का आदेश दिवालिए को दिवाले में साबित किए जा सकने वाले सभी ऋणों से छुटकारा नहीं देगा ।

(3) उन्मोचन का आदेश दिवाले का और उसमें की कार्रवाइयों की विधिमान्यता का निश्चायक साक्ष्य होगा ।

(4) उन्मोचन का आदेश किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अर्जी के पेश किए जाने की तारीख को दिवालिए के साथ भागीदार या सहन्यासी था या संयुक्तत: आबद्ध था या जिसने उसके साथ संयुक्त संविदा की थी या किसी व्यक्ति को, जो उसके लिए प्रतिभू था या प्रतिभू स्वरूप था, छुटकारा नहीं देगा ।

भाग 3

सम्पत्ति का प्रशासन

ऋणों का सबूत

46. ऋण जो दिवाले में साबित किए जा सकते हैं—(1) अपरिनिर्धारित नुकसानी की प्रकृति की मांगें, जो संविदा या न्यासभंग के कारण उद्भूत होने वाली नुकसानी से भिन्न हैं, दिवाले में साबित नहीं की जा सकेंगी ।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे किसी ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने की सूचना है, उसके द्वारा इस प्रकार सूचना पाने की तारीख के पश्चात् ऋणी द्वारा लिए गए ऋण या दायित्व को साबित नहीं करेगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) में यथा उपबंधित के सिवाय सभी ऋण और दायित्व, वर्तमान या भविष्यत् निश्चित या समाश्रित, जिनके अधीन ऋणी तब है जब वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या ऐसे न्यायनिर्णयन की तारीख के पहले उपगत किसी बाध्यता के कारण उनके अधीन वह अपने उन्मोचन के पूर्व हो जाएगा, दिवाले में साबित किए जा सकने वाले ऋण समझे जाएंगे ।

(4) यथापूर्वोक्त साबित किए जा सकने वाले ऋण या दायित्व के, जो किसी आकस्मिकता या आकस्मिकताओं के अधीन होने के कारण या किसी अन्य कारण से, निश्चित मूल्य का नहीं है, मूल्य का प्राकल्लन शासकीय समनुदेशिती द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यदि उसकी राय में ऋण या दायित्व का मूल्य ऋजुत: प्राक्कलित नहीं किया जा सकता है तो वह उस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी करेगा, और तब ऋण या दायित्व दिवाले में साबित न किया जा सकने वाला ऋण समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दायित्व" के अन्तर्गत किए गए काम या श्रम के लिए प्रतिकर, किसी अभिव्यक्त या विवक्षित प्रसंविदा, संविदा, करार या वचनबन्ध के भंग पर, चाहे भंग हो या न हो, या उसका होना संभाव्य हो या न हो या ऋणी के उन्मोचन के पहले हो सकता हो या न हो सकता हो नकदी या नकद मूल्य की वस्तु संदाय करने की बाध्यता या बाध्यता की संभावना है, और साधारणत: संदाय करने के लिए कोई अभिव्यक्त या विवक्षित ठहराव, करार या वचनबन्ध, या जिसका परिणाम नकदी या नकद मूल्य की वस्तु के संदाय में हो सकता है, चाहे संदाय, रकम के संबंध में निश्चित या अपरिनिर्धारित हो ; समय के संबंध में, वर्तमान या भविष्यत्, निश्चित या किसी आकस्मिकता या आकस्मिकताओं पर आधारित हो, मूल्यांकन के ढंग के बारे में, निश्चित नियमों द्वारा, या राय से परिनिश्चित किया जाने वाला हो, इसके अन्तर्गत आते हैं ।

47. पारस्परिक व्यवहार और मुजरा—जहां दिवालिए और इस अधिनियम के अधीन ऋण साबित करने वाले या साबित करने का दावा करने वाले किसी लेनदार के बीच पारस्परिक व्यवहार हुए हैं, वहां ऐसे पारस्परिक व्यवहारों के संबंध में एक पक्षकार को दूसरे से क्या शोध्य है इसका लेखा लिया जाएगा, और एक पक्षकार से शोध्य राशि को दूसरे पक्षकार से शोध्य राशि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा, और लेखे के अतिशेष का, और उससे अधिक का नहीं, दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की ओर से दावा किया जाएगा या संदाय किया जाएगा :

परन्तु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दिवालिए की सम्पत्ति के विरुद्ध मुजरे के लाभ का दावा करने का हकदार उस दशा में नहीं होगा जिसमें दिवालिए को ऋण देते समय उसे दिवालिए द्वारा या उसके विरुद्ध दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने की सूचना थी ।

48. ऋणों के सबूत के बारे में नियम—ऋणों के साबित करने की रीति, प्रतिभूत और अन्य लेनदारों का साबित करने का अधिकार, सबूतों का ग्रहण और अग्रहण, और द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य मामलों के संबंध में, उस अनुसूची के नियमों का पालन किया जाएगा ।

49. ऋणों में पूर्विकता—(1) दिवालिए की सम्पत्ति के वितरण में निम्नलिखित ऋणों का संदाय करने में अन्य ऋणों पर पूर्विकता देकर किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को शोध्य सभी ऋण ; और

(ख) अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से पूर्व चार मास के दौरान दिवालिए के लिए की गई सेवाओं के बाबत किसी लिपिक, सेवक या श्रमिक के सभी वेतन या मजदूरी, जो प्रत्येक ऐसे लिपिक के लिए तीन सौ रुपए से, और प्रत्येक ऐसे सेवक या श्रमिक के लिए सौ रुपए से अनधिक हो ; और

(ग) दिवालिए से स्वामी को शोध्य भाटक ; परन्तु इस खण्ड के अधीन संदेय रकम एक मास के भाटक से अधिक न होगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऋण परस्पर समान कोटि के होंगे और सिवाय उस दशा के पूर्णत: संदत्त किए जाएंगे, जब दिवालिए की सम्पत्ति उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त न हो, और उस दशा में उनमें समान अनुपात में कमी होगी ।

(3) प्रशासन या अन्यथा व्ययों के लिए ऐसी राशियों के, जो आवश्यक हों, प्रतिधारण करने के पश्चात् उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऋण, जहां तक दिवालिए की सम्पत्ति उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त है, तुरन्त चुकाए जाएंगे ।

(4) भागीदारों की दशा में, भागीदारी सम्पत्ति सर्वप्रथम भागीदारी ऋणों के संदाय में लगाई जाएगी, और प्रत्येक भागीदार की पृथक् सम्पत्ति सर्वप्रथम उसके पृथक् ऋणों के संदाय में लगायी जाएगी । जहां भागीदारों की पृथक् सम्पत्ति का अधिशेष है वहां, उसके साथ भागीदारी सम्पत्ति के भाग के रूप में व्यवहार किया जाएगा ; और जहां भागीदारी सम्पत्ति का अधिशेष है वहां, उसके साथ प्रत्येक भागीदार के भागीदारी सम्पत्ति में अधिकार और हित के अनुपात में उसकी अपनी पृथक् सम्पत्ति के भाग के रूप में संव्यवहार किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए दिवाले में साबित किए गए सभी ऋण ऐसे ऋणों की भिन्न-भिन्न रकम के अनुसार अनुपातत: और बिना किसी अधिमान के संदाय किए जाएंगे ।

(6) जहां पूर्वगामी ऋणों के संदाय के पश्चात् कुछ अधिशेष हैं वहां, वह दिवाले में साबित किए गए सभी ऋणों पर उस तारीख से, जिसको ऋणी दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, छह प्रतिशत की दर से ब्याज के संदाय में लगाया जाएगा ।

50. न्यायनिर्णयन के पूर्व शोध्य भाटक—न्यायनिर्णयन का आदेश किए जाने के पश्चात् ऐसे आदेश के पूर्व शोध्य भाटक के लिए दिवालिए के माल या चीजबस्त पर कोई करस्थम् नहीं किया जाएगा, जब तक कि आदेश बातिल न कर दिया जाए, किन्तु भू-स्वामी या वह पक्षकार, जिसको भाटक शोध्य है, ऐसे भाटक की बाबत साबित करने का हकदार होगा ।

ऋणों के संदाय के लिए उपलब्ध संपत्ति

51. समनुदेशिती के हक का सम्बन्ध—ऋणी को दिवाला का, चाहे वह ऋणी की अपनी अर्जी पर हो या किसी लेनदार या लेनदारों की अर्जी पर हो, सम्बन्ध और प्रारम्भ निम्नलिखित समयों से पूर्व सम्बन्धित समझा जाएगा—

(क) उस दिवालिएपन के कार्य के, जिस पर उसके विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है, करने का समय ; या

(ख) यदि यह साबित कर दिया जाता है कि दिवालिए ने एकाधिक दिवालिएपन के कार्य किए हैं तो, दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से ठीक पहले के तीन मास के अन्दर दिवालिए द्वारा किया गया और साबित दिवालिएपन के प्रथम कार्य का समय :

परन्तु दिवाले की कोई अर्जी या न्यायनिर्णयन का कोई आदेश अर्जी करने वाले लेनदार के ऋण से पूर्व किए गए दिवालिएपन के किसी कार्य के कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगा ।

52. दिवालिए की उसके लेनदारों में विभाज्य सम्पत्ति का वर्णन—(1) दिवालिए की उसके लेनदारों में विभाज्य सम्पत्ति में, जिसे इस अधिनियम में दिवालिए की सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, निम्नलिखित विशिष्टियां समाविष्ट नहीं होंगी, अर्थात् :—

(क) दिवालिए द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यास के रूप में धारित सम्पत्ति ;

(ख) उसके व्यापार के औजार (यदि कोई हों) और पहिनने के आवश्यक वस्त्र, बिछौने, भोजन बनाने के पात्र, और उसका, उसकी पत्नी का और संतानों का फर्नीचर, यथापूर्वोक्त औजारों और वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित समग्र रूप से तीन सौ रुपए से अनधिक मूल्य तक ।

(2) यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, दिवालिए की सम्पत्ति में निम्नलिखित विशिष्टियां समाविष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) ऐसी सब सम्पत्ति जो दिवालिएपन के प्रारम्भ पर दिवालिए की हो या उसमें निहित हो या जो उसके उन्मोचन के पूर्व उसके द्वारा अर्जित की जाए या उसको न्यागत हो ;

(ख) सम्पत्ति में उस पर या उसके सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने का और प्रयोग करने के लिए कार्यवाहियां करने का सामर्थ्य जो उसके दिवाले के प्रारम्भ पर या उन्मोचन के पूर्व दिवालिए द्वारा अपने लाभ के लिए प्रयोग की जा सकती थी ; और

(ग) वे सभी माल, जो दिवाले के प्रारम्भ पर दिवालिए के व्यापार या कारबार में उसके कब्जे, आदेश या व्ययन के अधीन, वास्तविक स्वामी की सहमति या अनुज्ञा से, ऐसी परिस्थितियों में हैं कि वह उनका ख्यात स्वामी है :

परन्तु दिवालिए को उसके व्यापार या कारबार के अनुक्रम में शोध्य ऋणों या शोध्य होते हुए ऋणों से भिन्न अनुयोज्य वस्तुओं को खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत माल नहीं समझा जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे माल का सच्चा स्वामी जो खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन दिवालिए के लेनदारों में विभाज्य हो गए हैं ऐसे माल का मूल्य साबित कर सकता है ।

पूर्वगामी संव्यवहारों पर दिवाले का प्रभाव

53. निष्पादन के अधीन लेनदारों के अधिकारों पर निर्बन्धन—(1) जहां ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन जारी हो गया है वहां कोई व्यक्ति, [1][दिवाले की अर्जी के ग्रहण की तारीख के पूर्व] निष्पादन के अनुक्रम में विक्रय द्वारा या अन्यथा आप्त आस्तियों की बाबत के सिवाय, शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध निष्पादन के फायदे का हकदार नहीं होगा ।

(2) इस धारा की कोई बात ऐसी सम्पत्ति की बाबत, जिसके विरुद्ध कोई डिक्री निष्पादित की गई है, प्रतिभूत लेनदार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा "न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से पूर्व या ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दिवाला वाद के पेश करने की सूचना उसको मिलने से पूर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) कोई व्यक्ति, जो निष्पादन में विक्रय के अधीन किसी ऋणी की सम्पत्ति सद्भावपूर्वक क्रय करता है, उस सम्पत्ति पर सभी दशाओं में शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध वैध हक अर्जित करेगा ।

54. निष्पादन में ली गई सम्पत्ति के बारे में डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के कर्तव्य—जहां ऋणी की किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध, जो निष्पादन में विक्रय है, किसी डिक्री का निष्पादन जारी किया गया है और जिसके विक्रय के पूर्व डिक्री निष्पादन करने वाले न्यायालय को यह सूचना दी गई है कि ऋणी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश कर दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन पर यह निदेश देगा कि सम्पत्ति, यदि न्यायालय के कब्जे में है तो, शासकीय समनुदेशिती को परिदत्त की जाए, किन्तु इस प्रकार परिदत्त सम्पत्ति पर निष्पादन के खर्चे प्रथम भार होंगे, और शासकीय समनुदेशिती भार की तुष्टि के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग का विक्रय कर सकता है ।

55. स्वेच्छया अन्तरण का शून्य किया जाना—सम्पत्ति का कोई अन्तरण, जो विवाह के पूर्व और उसके हेतु किया गया, या किसी क्रेता या विल्लंगमकर्ता के पक्ष में सद्भावपूर्वक और मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया अन्तरण नहीं है, यदि अन्तरणकर्ता अन्तरण की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है तो, शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध शून्य होगा ।

56. कतिपय दशाओं में अधिमानों का शून्य किया जाना—(1) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपने ऋणों को, जैसे-जैसे वे शोध्य होते जाते हैं, अपने धन में से संदाय करने में असमर्थ है, किसी लेनदार के पक्ष में किया गया प्रत्येक अन्तरण, प्रत्येक संदाय, प्रत्येक उपगत बाध्यता, और उसके द्वारा या उसके विरुद्ध की गई प्रत्येक न्यायिक कार्यवाही, जो उस लेनदार को अन्य लेनदारों पर अधिमान देने की दृष्टि से की गई है, यदि ऐसा व्यक्ति उसकी तारीख के पश्चात् तीन मास के अन्दर पेश की गई अर्जी पर दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है तो, शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध कपटपूर्ण और शून्य समझी जाएगी ।

(2) यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी, जो दिवालिए के लेनदार के माध्यम से या उसके अधीन सद्भावपूर्वक और मूल्यवान प्रतिफल से हक प्राप्त करता है ।

57. सद्भावपूर्ण संव्यवहारों का संरक्षण—निष्पादन पर दिवाले के प्रभाव की बाबत और कतिपय अन्तरणों और अधिमानों को शून्य करने की बाबत पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यह है कि इस अधिनियम की कोई बात दिवाले के मामले में निम्नलिखित को अविधिमान्य नहीं करेगी:—

(क) दिवालिए द्वारा उसके किसी लेनदार को संदाय ;

(ख) दिवालिए को कोई संदाय या परिदान ;

(ग) दिवालिए द्वारा मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई अन्तरण ; या

(घ) दिवालिए द्वारा या उससे मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई संविदा या व्यवहार :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा संव्यवहार न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से पूर्व होता है और उस व्यक्ति को, जिससे ऐसा संव्यवहार होता है, उस समय ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दिवाले की अर्जी के पेश किए जाने की सूचना नहीं है ।

सम्पत्ति का आपन

58. शासकीय समनुदेशिती द्वारा सम्पत्ति का कब्जा—(1) शासकीय समनुदेशिती, यथाशक्यशीघ्र, दिवालिए के विलेख, बहियों और दस्तावेजों और उसकी सम्पत्ति के अन्य सभी भागों का, जो हाथ से दिए जा सकते हैं, कब्जा ले लेगा ।

(2) शासकीय समनुदेशिती, दिवालिए की सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने और रखने के प्रयोजन के लिए और उसके सम्बन्ध में, उसी स्थिति में होगा मानो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त सम्पत्ति का रिसीवर है, और न्यायालय उसके आवेदन पर ऐसे कब्जा प्राप्त करने या रखने को तद्नुसार प्रवर्तित कर सकता है ।

(3) जहां दिवालिए की सम्पत्ति का कोई भाग स्टाक, अंश (शेयर), जहाजों के अंश (शेयर), या किसी कम्पनी, कार्यालय या व्यक्ति की बहियों में अन्तरणीय कोई अन्य सम्पत्ति है वहां, शासकीय समनुदेशिती सम्पत्ति के अन्तरण के अधिकार का प्रयोग उसी विस्तार तक कर सकता है, जैसे दिवालिया प्रयोग कर सकता था, यदि वह दिवालिया नहीं हो जाता ।

(4) यदि दिवालिए की सम्पत्ति का कोई भाग अनुयोज्य वस्तुएं हैं तो, ऐसी वस्तुएं शासकीय समनुदेशिती को सम्यक्त: अन्तरित समझी जाएंगी ।

(5) दिवालिए का कोई कोषाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी या बैंकर, अटर्नी या अभिकर्ता ऐसे अधिकारी, बैंकर, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कब्जे या शक्ति के अधीन सभी धन या प्रतिभूतियों का, जो वह विधि द्वारा दिवालिए या शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध रखने का हकदार नहीं है, शासकीय समनुदेशिती को संदाय और परिदान करेगा । यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, वह न्यायालय के अवमान का दोषी होगा और शासकीय समनुदेशिती के आवेदन पर तद्नुसार दण्डनीय होगा ।

59. दिवालिए की संपत्ति का अभिग्रहण—(1) न्यायालय, न्यायालय के किसी विहित अधिकारी को या कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर किसी पुलिस अधिकारी को दिवालिए या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में दिवालिए की सम्पत्ति के किसी भाग का अभिग्रहण करने के लिए, और ऐसे अभिग्रहण की दृष्टि से दिवालिए के किसी मकान, भवन या कमरे को जहां दिवालिए का होना अनुमित है, या दिवालिए के किसी भवन या पात्र को जहां उसकी किसी सम्पत्ति का होना अनुमित है, तोड़ कर खोलने के लिए वारंट दे सकता है ।

(2) जहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने का कारण है कि दिवालिए की सम्पत्ति किसी मकान या स्थान में छिपाई गई है जो उसका नहीं है, वहां, न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकारी को तलाशी वारंट दे सकता है जो उसके तात्पर्य के अनुसार उसे निष्पादित कर सकता है ।

60. वेतन के भाग या अन्य आय का लेनदारों को विनियोजन—(1) जहां दिवालिया [1][भारतीय सेना या नौसेना] का अधिकारी है, अथवा सरकार की सिविल सेवा में अधिकारी या लिपिक है या अन्यथा नियोजित या लगा हुआ है वहां, शासकीय समनुदेशिती लेनदारों में वितरण के लिए दिवालिए के वेतन या संबलम् का, जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है, उतना भाग प्राप्त करेगा जो न्यायालय निदेश करे ।

(2) जहां दिवालिया यथापूर्वोक्त के अतिरिक्त कोई संबलम् या आय प्राप्त करता है वहां न्यायालय, न्यायनिर्णयन के पश्चात् किसी भी समय और समय-समय पर शासकीय समनुदेशिती को लेनदारों में वितरण के लिए उसके वेतन या आय का उतना भाग जितना डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है, या उसका कोई भाग संदाय करने के लिए ऐसा आदेश कर सकता है जो वह न्यायोचित समझे ।

[2]**61. सम्पत्ति का निहित होना और अन्तरण**—दिवालिए की सम्पत्ति शासकीय समनुदेशिती से शासकीय समनुदेशिती को संक्रात होगी, और तत्समय शासकीय समनुदेशिती में उसके पद पर बने रहने के दौरान, बिना किसी अन्तरण के निहित होगी ।

62. दुर्भर सम्पत्ति का दावा-त्याग—(1) जहां दिवालिए की सम्पत्ति का कोई भाग किसी भू-धृति की भूमि है जिस पर दुर्भर प्रसंविदाओं का भार है, कम्पनियों में अंश (शेयर) या स्टाक है, अलाभप्रद संविदाएं हैं, या कोई अन्य सम्पत्ति है जो इस कारण अविक्रय है या सुगमता से विक्रेय नहीं है कि उसका कब्जा रखने वाला किसी दुर्भर कार्य को करने के लिए या धन की किसी राशि का संदाय करने के लिए आबद्ध है, वहां शासकीय समनुदेशिती, इस बात के होते हुए भी कि उसने उस सम्पत्ति का विक्रय करने या उसका कब्जा लेने का प्रयास किया है, उसके सम्बन्ध में स्वामित्व का कोई कार्य किया है, किन्तु सदैव इस निमित्त इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखत से, दिवालिए के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के पश्चात् बारह मास के अन्दर किसी भी समय, सम्पत्ति का दावा-त्याग कर सकता है :

परन्तु, जहां ऐसी कोई सम्पत्ति शासकीय समनुदेशिती की जानकारी में, यथापूर्वोक्त न्यायनिर्णयन के पश्चात् एक मास के अन्दर नहीं आई है, वहां वह उसको सर्वप्रथम जानकारी होने के पश्चात् बारह मास के अन्दर किसी भी समय सम्पत्ति का दावा-त्याग कर सकता है ।

(2) दावा-त्याग की तारीख से दावा-त्याग, दिवालिए के अधिकार, हित और दायित्व का और दावा-त्याग की गई सम्पत्ति में या उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसकी सम्पत्ति का पर्यवसान करेगा और शासकीय समनुदेशिती को उस तारीख से, जब सम्पत्ति उसमें निहित हुई थी, दावा-त्याग की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी व्यक्तिगत दायित्वों से उन्मुक्त करेगा, किन्तु जहां तक दिवालिया या उसकी सम्पत्ति या शासकीय समनुदेशिती को दायित्व से छुटकारा देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है उसके सिवाय, अन्य व्यक्तियों के अधिकार या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा ।

63. पट्टाधृतियों का दावा-त्याग—सदैव ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, शासकीय समनुदेशिती न्यायालय की इजाज़त के बिना किसी पट्टाधृति हित का दावा-त्याग करने का हकदार नहीं होगा और न्यायालय, ऐसी इजाजत देने के पहले या देने पर हितबद्ध व्यक्तियों को ऐसी सूचना दी जाने की अपेक्षा कर सकता है, और इजाजत दी जाने की शर्त के रूप में ऐसे निबन्धन अधिरोपित कर सकता है, और फिक्सचरों, अभिधारी की अभिवृद्धियों और अभिधृतियों से उद्भूत होने वाले अन्य मामलों में ऐसे आदेश कर सकता है, जो न्यायालय न्यायोचित समझे ।

64. शासकीय समनुदेशिती से दावा-त्याग की मांग करने की शक्ति—ऐसी किसी दशा में जब सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय समनुदेशिती को लिखित रूप में यह अपेक्षा करते हुए आवेदन किया गया है कि वह यह विनिश्चय करे कि वह दावा-त्याग करेगा या नहीं और शासकीय समनुदेशिती ने आवेदन की कालावधि के पश्चात् अट्ठाईस दिन की कालावधि में या ऐसी विस्तारित कालावधि में जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात की जाए यह सूचना देने से कि वह सम्पत्ति का दावा-त्याग करता है, इंकार किया है या ऐसा करने की उपेक्षा की है तब शासकीय समनुदेशिती धारा 62 के अनुसरण में किसी सम्पत्ति का दावा-त्याग करने का हकदार नहीं होगा ; और संविदा की दशा

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "थल सेना या नौसेना या रायल इंडियन नेवी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] इस अधिनियम के मुम्बई और मद्रास को लागू होने पर यह धारा निरसित की गई, देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 11 और अनुसूची 1 और प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 2.

में, यदि शासकीय समनुदेशिती यथापूर्वोक्त आवेदन के पश्चात् उक्त कालावधि या विस्तारित कालावधि में संविदा से इंकार नहीं करता है तो, यह समझा जाएगा कि उसने उसे अंगीकार कर लिया है ।

65. न्यायालय की संविदा को विखण्डित करने की शक्ति—न्यायालय किसी भी व्यक्ति के, जो शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध दिवालिए से किए गए किसी संविदा के फायदे का हकदार है या भार के अधीन है, आवेदन पर संविदा को किसी भी पक्षकार द्वारा या उसको संविदा के अपालन के लिए नुकसानी का संदाय करने के बारे मे ऐसे निबन्धनों पर, या अन्यथा जैसी न्यायालय को साम्यापूर्ण प्रतीत हो, आदेश द्वारा विखण्डित कर सकता है और ऐसे किसी व्यक्ति को आदेश के अधीन संदेय नुकसानी उसके द्वारा दिवाले में ऋण के रूप में साबित की जा सकती है ।

66. दावा-त्याग की गई सम्पत्ति के संबंध में निहित करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति—(1) न्यायालय, किसी दावा-त्याग की गई सम्पत्ति में या तो किसी हित का दावा करने वाले, या किसी दावा-त्याग की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा उन्मोचित न किए गए किसी दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति के आवेदन पर, और ऐसे व्यक्तियों को, जिनको वह ठीक समझे, सुनकर उसके हकदार किसी व्यक्ति में या उस व्यक्ति में जिसे यथापूर्वोक्त ऐसी बाध्यता के लिए प्रतिकार के रूप में उसका परिदान करना न्यायोचित प्रतीत हो, या उसके न्यासी में, सम्पत्ति निहित होने या उसका परिदान करने के लिए ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि न्यायालय न्यायोचित समझे, आदेश कर सकता है ; और ऐसा निहित करने वाला आदेश किए जाने पर, उसमें समाविष्ट सम्पत्ति उसमें इस निमित्त नामित व्यक्ति में तद्नुसार इस प्रयोजन के लिए बिना किसी अन्तरण के निहित होगी :

परन्तु सदैव यह कि, जहां, दावा-त्याग की गई सम्पत्ति पट्टाधृति की प्रकृति की है वहां, न्यायालय दिवालिए के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में निहित करने का आदेश नहीं करेगा चाहे उपपट्टेदार के रूप में हो या बन्धकदार के रूप में, सिवाय ऐसे व्यक्ति को उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अधीन करने के निबन्धनों पर, जिनके अधीन दिवाले की अर्जी फाइल करने की तारीख को सम्पत्ति के सम्बन्ध में पट्टे के अधीन दिवालिया था, और कोई उपपट्टेदार या बन्धकदार जो ऐसे निबन्धनों पर निहित करने का आदेश प्रतिग्रहण करने से इंकार करता है सम्पत्ति में सभी हितों से और उस पर प्रतिभूतियों से अपवर्जित किया जाएगा, और यदि दिवालिए के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे निबन्धनों पर किसी आदेश का प्रतिग्रहण करने के लिए रजामन्द है तो न्यायालय को सम्पत्ति में दिवालिए का हित किसी भी व्यक्ति में, जो या तो वैयक्तिक रूप से या किसी प्रतिनिधिक हैसियत से और या तो अकेला या दिवालिए के साथ संयुक्ततः ऐसे पट्टों में पट्टाधारी की प्रसंविदा का पालन करने के लिए दायी है, दिवालिए द्वारा उसमें सृजित सभी सम्पदाओं, विल्लंगमों और हितों से स्वतन्त्र और उन्मुक्त निहित करने की शक्ति होगी ।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह पूर्वगामी परन्तुक में विहित निबन्धनों को उपान्तरित कर सकता है जिससे कि वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में निहित करने का आदेश किया गया है, केवल उन्हीं दायित्वों और बाध्यताओं के अधीन होगा मानो उसे पट्टा उस तारीख को समनुदेशित किया गया है जब दिवालिए की अर्जी फाइल की गई थी, और (यदि मामले में ऐसा अपेक्षित है तो) मानो पट्टे में केवल वही सम्पत्ति समाविष्ट थी जो निहित करने वाले आदेश में समाविष्ट है ।

67. दावा-त्याग द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का साबित कर सकना—पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन दावा-त्याग के प्रर्वतन के द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्षति की रकम के लिए दिवालिए का लेनदार समझा जाएगा, और तद्नुसार वह उसे दिवाले में ऋण के रूप में साबित कर सकता है ।

68. शासकीय समनुदेशिती के आपन के बारे में कर्तव्य और शक्तियां—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय समनुदेशिती, सुविधानुसार शीघ्रता से, दिवालिए की सम्पत्ति का आपन करेगा, और उस प्रयोजनार्थ :—

(क) दिवालिए की समस्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग विक्रय कर सकता है ;

(ख) अपने द्वारा प्राप्त किसी धन के लिए रसीद दे सकता है ;

(ग) दिवालिए के कारबार को चला सकता है जहां तक कि वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक है ;

(घ) दिवालिए की सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है, उसमें प्रतिवाद कर सकता है या उसे चालू रख सकता है ;

(ङ) न्यायालय द्वारा मंजूर की गई किसी कार्यवाही को या कारबार को करने के लिए किसी विधि व्यवसायी या अन्य अभिकर्ता को नियोजित कर सकता है ;

(च) प्रतिभूतियों और अन्य बातों के संबंध में ऐसे अनुबन्धों के अधीन, जो न्यायालय ठीक समझे, दिवालिए की किसी सम्पत्ति के विक्रय के प्रतिफल के रूप में भविष्य में संदेय धन की राशि या किसी लिमिटेड कम्पनी में पूर्णतः संदत्त अंश, डिबेंचर या डिबेंचर स्टाक प्रतिगृहीत कर सकता है ;

(छ) दिवालिए के ऋणों के संदाय के लिए या उसका कारबार चलाने के प्रयोजन के लिए धन इकट्ठा करने के प्रयोजनार्थ दिवालिए की सम्पत्ति का कोई भाग बन्धक या गिरवी रख सकता है ;

(ज) किसी विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर सकता है ; और सभी ऋण, दावे और दायित्वों का समझौता कर सकता है, ऐसे निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं ;

(झ) किसी सम्पत्ति को, जो अपनी विशिष्ट प्रकृति या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण सुगमता से और लाभप्रद रूप से विक्रय नहीं की जा सकती है, उसके विद्यमान रूप में लेनदारों में, उसके प्राक्कलित मूल्य के अनुसार विभाजित कर सकता है ।

[1](2) शासकीय समनुदेशिती न्यायालय को लेखा देगा और सभी धन संदाय और सभी प्रतिभूतियों से व्यवहार ऐसी रीति[2] में करेगा जो विहित किया जाए या जैसा न्यायालय निदेश करे ।

सम्पत्ति का वितरण

69. भागदेय की घोषणा और वितरण—(1) शासकीय समनुदेशिती सुविधानुसार शीघ्रता से भागदेयों को घोषित करेगा और उन लेनदारों में, जिन्होंने अपने ऋण साबित किए हैं, वितरित करेगा ।

(2) प्रथम भागदेय (यदि कोई हो) न्यायनिर्णयन के पश्चात् [3][एक वर्ष] के अन्दर घोषित और वितरित किया जाएगा, जब तक कि शासकीय समनुदेशिती न्यायालय का समाधान न कर दे कि घोषणा को आगामी तारीख को मुल्तवी करने के पर्याप्त कारण हैं ।

(3) पश्चात्वर्ती भागेदय इसके प्रतिकूल पर्याप्त कारण के अभाव में छह मास से अनधिक अन्तराल पर घोषित और संदेय होंगे ।

(4) भागेदय घोषित करने के पूर्व, शासकीय समनुदेशिती ऐसा करने के अपने आशय की सूचना विहित रीति में प्रकाशित कराएगा और दिवालिए की अनुसूची में उल्लिखित ऐसे प्रत्यके लेनदार को, जिसने अपना ऋण साबित नहीं किया है, उसकी उचित सूचना भी भेजेगा ।

(5) जब शासकीय समनुदेशिती भागदेय घोषित कर देता है तब वह ऐसे प्रत्येक लेनदार को, जिसने साबित किया है, सूचना भेजेगा जिसमें भागदेय की रकम और कब और कैसे वह संदेय है यह उपदर्शित होगा, और यदि किसी लेनदार द्वारा ऐसी अपेक्षा हो तो, सम्पदा की विशिष्टियों के बारे में विहित प्ररूप में एक कथन भेजेगा ।

70. संयुक्त और पृथक् सम्पत्तियां—जहां किसी फर्म का एक भागीदार दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, वहां कोई लेनदार, जिसका दिवालिया फर्म के अन्य भागीदारों या उनमें से किसी के साथ संयुक्तत: ऋणी है, दिवालिए की पृथक् सम्पत्ति से कोई भागदेय तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि सभी पृथक लेनदारों ने अपने-अपने ऋणों की पूर्ण रकम प्राप्त नहीं कर ली है ।

71. भागदेयों की संगणना—(1) शासकीय समनुदेशिती भागदेयों की संगणना और वितरण में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त आस्तियां [4][अपने हाथ में] रखेगा :—

(क) ऐसे ऋण जो दिवाले में साबित किए जा सकते हैं और जो दिवालिए के कथनानुसार या अन्यथा उतनी दूर के स्थानों के निवासियों को शोध्य प्रतीत होते हैं कि संसूचना के सामान्य अनुक्रम में उन्हें अपने सबूत देने का पर्याप्त समय नहीं मिला है ;

(ख) दिवाले में साबित किए जा सकने वाले ऋण जिनके दावे का विषय अभी तक अवधारित नहीं हुआ है ;

(ग) विवादग्रस्त सबूत या दावे ; और

(घ) सम्पदा के प्रशासन के लिए या अन्यथा आवश्यक व्यय ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [5][हाथ में] सभी धन भागदेय के रूप में वितरित किया जाएगा ।

72. जिस लेनदार ने भागदेय घोषित किए जाने के पूर्व ऋण साबित नहीं किया है, उसका अधिकार—कोई लेनदार, जिसने किसी भागदेय या भागदेयों की घोषणा के पूर्व अपना ऋण साबित नहीं किया है, उस समय शासकीय समनुदेशिती [6][के हाथ में] किसी धन से

---

[1] इस अधिनियम के मुम्बई को लागू होने पर यह उपधारा निरसित की गई, देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 11 और अनुसूची 1.

[2] मद्रास के लिए, प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 3 द्वारा "जैसे कि इस अधिनियम में विहित है या" शब्द यहां अंत:स्थापित किए गए ।

[3] 1929 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] **मद्रास के लिए पढ़ें** : "उसके नियंत्रण में"—देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 4.

[5] **मद्रास के लिए पढ़ें** : "शासकीय समनुदेशिती द्वारा वसूल किए गए"—देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 4.

[6] **मद्रास के लिए पढ़ें** : "नियंत्रण के अधीन"—देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 5.

किसी भागदेय या भागदेयों के, जिसे प्राप्त करने में वह असफल रहा है, इसके पूर्व कि वह धन किसी भविष्यत् भागदेय या भागदेयों के संदाय में लगाया जाए, संदाय किए जाने का हकदार होगा, किन्तु वह उसके ऋण के साबित होने के पूर्व घोषित किसी भागदेय के वितरण में विघ्न डालने का इस कारण से हकदार नहीं होगा कि उसने उसमें हिस्सा नहीं लिया था ।

73. अन्तिम भागदेय—(1) जब शासकीय समनुदेशिती दिवालिए की समस्त सम्पत्ति या उसके उतने हिस्से का, जो उसकी राय में, दिवाले की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से देर तक बनाए रखे बिना, आप्त किया जा सकता है, आपन कर लेता है वहां वह, न्यायालय की इजाजत से, एक अन्तिम भागदेय घोषित करेगा, किन्तु ऐसा करने के पूर्व, वह विहित रीति में उन व्यक्तियों को, जिनके लेनदार होने के दावों की उसे सूचना दी गई है किन्तु जो साबित नहीं किए गए हैं, सूचना देगा कि यदि वे अपने दावे परिसीमित समय के अन्दर, न्यायालय के समाधानप्रद रूप में, सूचना में साबित नहीं करते हैं, तो वह उनके दावों पर ध्यान दिए बिना अन्तिम भागदेय निश्चित करने की कार्यवाही करेगा ।

(2) ऐसे परिसीमित समय के अवसान के पश्चात् या, यदि न्यायालय ऐसे किसी दावेदार के आवेदन पर, उसे अपना दावा साबित करने के लिए अतिरिक्त समय अनुदत्त करता है, तो ऐसे अतिरिक्त समय के अवसान के पश्चात् दिवालिए की सम्पत्ति किन्हीं अन्य व्यक्तियों के दावों पर ध्यान दिए बिना उन लेनदारों में विभाजित की जाएगी जिन्होंने अपने ऋण साबित किए हैं ।

[1]**74. भागदेय के लिए कोई वाद न होना**—शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध भागदेय के लिए कोई वाद नहीं होगा, किन्तु जहां शासकीय समुनदेशिती किसी भागदेय का संदाय करने से इंकार करता है, वहां न्यायालय, ऐसे इंकार से व्यथित किसी लेनदार के आवेदन पर, उसे भागदेय का संदाय करने का आदेश दे सकता है और अपने स्वयं के धन से विधारित करने के समय के लिए ऐसी दर से, जो विहित की जाए, उस पर ब्याज और आवेदन का खर्चा संदाय करने का आदेश भी कर सकता है ।

75. दिवालिए को सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए अनुज्ञात करने की शक्ति और दिवालिए को अनुरक्षण या सेवा के लिए भत्ता—(1) ऐसी शर्तों और मर्यादाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, शासकीय समनुदेशिती स्वयं दिवालिए को दिवालिए की सम्पत्ति या उसके किसी भाग के प्रबंध का अधीक्षण करने के लिए या दिवालिए का व्यापार (यदि कोई हो) उसके लेनदारों के फायदे के लिए चलाने के लिए, और सम्पत्ति के प्रशासन में किसी अन्य सम्बन्ध में ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि शासकीय समनुदेशिती निदेश करे, सहायता करने के लिए नियुक्त कर सकता है ।

(2) यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए न्यायालय, समय-समय पर, दिवालिए को दिवालिए और इसके परिवार के भरण-पोषण के लिए या, यदि वह अपनी सम्पदा के परिसमापन में लगा हुआ है तो, उसकी सेवाओं के प्रतिफल में उसकी सम्पत्ति से ऐसा भत्ता दे सकता है जो वह न्यायोचित समझे, किन्तु न्यायालय ऐसे भत्ते को किसी भी समय परिवर्तित या समाप्त कर सकता है ।

76. अधिशेष के लिए दिवालिए का अधिकार—दिवालिया, इस अधिनियम द्वारा यथाउपबन्धित उसके लेनदारों को, ब्याज सहित, पूर्ण संदाय करने के और उसके अधीन की गई कार्यवाहियों के व्यय के पश्चात् बचे हुए अधिशेष का हकदार होगा ।

भाग 4

शासकीय समनुदेशिती

77. दिवालिए की सम्पदा के शासकीय समनुदेशितियों की नियुक्ति और उनका हटाया जाना—[2][(1)(क) मद्रास स्थित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति समय-समय पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, दिवालिए की सम्पदाओं के शासकीय समनुदेशिती के पद पर और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, उक्त न्यायालय के शासकीय उपसमनुदेशिती के पद पर अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है और न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बहुमत से तत्समय उक्त पदों में से किसी को धारण करने वाले व्यक्ति को किसी कारण से, जो न्यायालय को पर्याप्त प्रतीत हो, हटा सकता है ;

(ख) पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार, कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श के पश्चात्, और उनकी सहमति से, उक्त न्यायालय के लिए दिवालिए की सम्पदाओं के शासकीय समनुदेशिती के पद पर किसी व्यक्ति को अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से नियुक्त करेगी और ऐसे ही परामर्श के पश्चात् और ऐसी ही सहमति से उक्त न्यायालय के लिए शासकीय उपसमनुदेशिती के पद पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर सकती है ;

---

[1] मुम्बई और मद्रास पर लागू करने के लिए धारा 74 प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 2 और प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 6 द्वारा संशोधित की गई ।

[2] 1926 के अधिनियम सं० 9 की धारा 7 और 1930 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा संशोधित मूल उपधारा (1) के स्थान पर भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित । कलकत्ता पर लागू करने के लिए धारा 77 पहले प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 3 द्वारा संशोधित की गई । मद्रास पर लागू करने के लिए इस धारा को, प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 7 द्वारा संशोधित किया गया ।

(ग) महाराष्ट्र की राज्य सरकार मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के लिए [1]*** समय-समय पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार ठीक समझे, दिवालियों की सम्पदाओं के शासकीय समनुदेशिती के पद पर और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, शासकीय उपसमनुदेशिती के पद पर अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकती है ।]

[2][(1क) धारा 112[3] के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, शासकीय उपसमनुदेशिती को शासकीय समनुदेशिती की सभी शक्तियां होंगी और वह उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों के प्रयोग में और ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में इस अधिनियम के अधीन शासकीय समनुदेशिती के सभी दायित्वों के अधीन होगा ।]

(2) प्रत्येक शासकीय समनुदेशिती और प्रत्येक शासकीय उपसमनुदेशिती ऐसी प्रतिभूति देगा और ऐसे नियमों के अधीन होगा और ऐसी रीति में कार्य करेगा जो विहित की जाए ।

[4](3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले क्रमश: कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई में [5]भारतीय दिवाला अधिनियम, 1848 (11 तथा 12 विक्टोरिया अध्याय 21) [6]*** के अधीन दिवालिया ऋणियों की राहत के लिए न्यायालयों में अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से शासकीय समनुदेशिती का पद धारण करने वाले व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिए आगे नियुक्ति के बिना, इस अधिनियम के अधीन क्रमश: फोर्ट विलियम, मद्रास और बम्बई [7]*** स्थित उच्च न्यायालयों के लिए, यथास्थिति, अधिष्ठायी या अस्थायी शासकीय समनुदेशिती हो जाएंगे[8] ।

78. शपथ दिलाने की शक्ति—शासकीय समनुदेशिती, सबूतों को सत्यापित करने वाले शपथपत्र, अर्जियों और इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए, शपथ दिला सकता है ।

79. दिवालिए के आचरण के बारे में कर्तव्य—(1) शासकीय समनुदेशिती के कर्तव्यों का सम्बन्ध दिवालिए के आचरण और उसकी सम्पदा के प्रशासन से भी होगा ।

(2) शासकीय समनुदेशिती के विशिष्टतया निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) दिवालिए के आचरण का अन्वेषण करना और न्यायालय को उन्मोचन के आवेदन पर यह कथन करते हुए रिपोर्ट करना कि क्या यह विश्वास का कारण है कि दिवालिए ने अपने दिवाले के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य किया है जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की 421 से 424 तक की धाराओं के अधीन अपराध गठित करता है या जिसके कारण न्यायालय का उन्मोचन का आदेश करने से इंकार करना या उसे निलम्बित करना या उसे विशेषित करना न्यायोचित होगा ;

(ख) दिवालिए के आचरण के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्ट करना जो न्यायालय निदेश करे या जो विहित की जाएं ; और

(ग) किसी कपट करने वाले दिवालिए के अभियोजन के संबंध में ऐसा भाग लेना और ऐसी सहायता देना जो न्यायालय निदेश करे या जो विहित की जाएं ।

80. लेनदारों की सूची देने का कर्तव्य—शासकीय समनुदेशिती, किसी लेनदार द्वारा अपेक्षा की जाने पर और विहित फीस का संदाय करने पर, लेनदारों की एक सूची, जिसमें प्रत्येक लेनदार को शोध्य ऋण की रकम उपदर्शित होगी, लेनदार को देगा और डाक द्वारा भेजेगा ।

[9]**81. पारिश्रमिक**—(1) शासकीय समनुदेशिती को उतना पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जितना विहित किया जाए ।

---

[1] भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "और सिंध के जूडिशियल कमिश्नर के न्यायालय के लिए सिंध की प्रान्तीय सरकार" शब्द निरसित ।

[2] 1930 के अधिनियम सं० 10 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] कलकत्ता में "112" के स्थान पर "112क" पढ़ें : देखें प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 3ख ।

[4] कलकत्ता में यह उपधारा एक अन्य उपधारा से प्रतिस्थापित की गई, देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 3(ग) ।

[5] इस अधिनियम द्वारा निरसित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "और इस अधिनियम के अधीन, जिस रूप में लोअर बर्मा कोर्ट्स ऐक्ट, 1900 द्वारा लागू किया गया है, लोअर बर्मा के प्रधान न्यायालय में" शब्द निरसित ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "और लोअर बर्मा के प्रधान न्यायालय में" शब्द निरसित ।

[8] मुम्बई और मद्रास पर लागू धारा 77क के लिए देखिए क्रमश: प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 3 और प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 8.

[9] इस अधिनियम के मद्रास को लागू करने में धारा 81 और धारा 83 निरसित की गई । देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 9 और धारा 12 । अधिनियम को मुम्बई पर लागू करने में धारा 84 निरसित की गई, देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 11 । धारा 81, धारा 81ख, धारा 82, धारा 82क, धारा 82ख, धारा 82ग और धारा 84क जिस रूप में कि

(2) शासकीय समनुदेशिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा ।

[1]**82. अपकरण**—न्यायालय शासकीय समनुदेशिती को किसी उपकरण, उपेक्षा या लोप के लिए जो उसके लेखाओं से या अन्यथा प्रकट हो, कारण बताने के लिए कहेगा, और शासकीय समनुदेशिती से किसी हानि की, जो अपकरण, उपेक्षा या लोप के कारण दिवालिए की सम्पदा को हुई है, पूर्ति करने की अपेक्षा कर सकता है ।

[1]**83. नाम जिनसे वाद लाए जाएंगे**—शासकीय समनुदेशिती "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _दिवालिए की सम्पत्ति का शासकीय समनुदेशिती" के नाम से दिवालिए का नाम अन्त:स्थापित करते हुए वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा, और वह उसी नाम से किसी भी प्रकार की सम्पत्ति धारण कर सकता है, संविदा कर सकता है, अपने को और अपने पदोत्तरवर्तियों को वह उसी नाम से किसी भी प्रकार की सम्पत्ति धारण कर सकता है, संविदा कर सकता है, अपने को और अपने पदोत्तरवर्तियों को आबद्ध करते हुए वचनबद्ध कर सकता है, और अपने पद के निष्पादन में आवश्यक या समीचीन अन्य सभी कार्य कर सकता है ।

[1]**84. दिवाले से पद का रिक्त हो जाना**—यदि शासकीय समनुदेशिती के विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश हो जाता है, तो वह तद्द्वारा शासकीय समनुदेशिती का पद रिक्त करेगा ।

85. विवेकाधीन शक्तियां और उनका नियंत्रण—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों और न्यायालय के निदेशों के अधीन रहते हुए शासकीय समनुदेशिती, दिवालिए की सम्पदा के प्रशासन में और उसके लेनदारों में उसके वितरण में, ऐसे किसी संकल्प पर ध्यान देगा जो लेनदार किसी अधिवेशन में पारित करें ।

(2) शासकीय समनुदेशिती, समय-समय पर, लेनदारों की इच्छा अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उनके अधिवेशन आहूत कर सकता है और ऐसे समय पर अधिवेशन आहूत करना उसका कर्तव्य होगा जब लेनदार किसी अधिवेशन में संकल्प द्वारा निदेश करे या न्यायालय निदेश करे, या जब भी लिखित में ऐसा करने के लिए उन लेनदारों के, जिन्होंने साबित किया है, मूल्य में एक-चौथाई द्वारा अनुरोध किया जाए ।

(3) शासकीय समनुदेशिती न्यायालय को दिवाले के अधीन उद्भूत होने वाले किसी विशेष विषय के संबंध में निदेश के लिए आवेदन कर सकता है ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शासकीय समनुदेशिती सम्पदा के प्रबंध में और लेनदारों में उसके वितरण में अपने विवेक का प्रयोग करेगा ।

86. न्यायालय को अपील—यदि दिवालिया या कोई लेनदार या कोई अन्य व्यक्ति शासकीय समनुदेशिती के किसी कार्य या विनिश्चय से व्यथित है, तो वह न्यायालय को अपील कर सकता है, और न्यायालय परिवादित कार्य या विनिश्चय की पुष्टि कर सकता है, उसे उलट सकता या उपान्तरित कर सकता है, और ऐसे आदेश कर सकता है जो वह न्यायोचित समझे ।

87. न्यायालय का नियंत्रण—(1) यदि कोई शासकीय समनुदेशिती अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करता है और अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी अधिनियमिति, नियमों द्वारा या अन्यथा अपने पर अधिरोपित सभी अपेक्षाओं का सम्यक्त: अनुपालन नहीं करता है, या यदि किसी लेनदार द्वारा न्यायालय को इस संबंध में कोई परिवाद किया जाता है तो, न्यायालय मामले की जांच करेगा और इस पर ऐसी कार्यवाही करेगा जो समीचीन समझी जाए ।

(2) न्यायालय किसी भी समय किसी शासकीय समनुदेशिती से किसी ऐसे दिवाले के संबंध में, जिसमें वह लगा हुआ है, उसके द्वारा की गई किसी पूछताछ का उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है, और दिवाले के संबंध में उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकता है ।

[2](3) न्यायालय शासकीय समनुदेशिती की बहियों और वाउचरों का अन्वेषण किए जाने का निदेश भी दे सकता है ।

कलकत्ता पर लागू हैं, के लिए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 4 से धारा 7 । धारा 82 और धारा 83, जिस रूप में कि मुम्बई पर लागू हैं, के लिए देखिए 1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20 की धारा 4 और धारा 5 । धारा 82, धारा 82क, धारा 82ख, धारा 84 और धारा 84क, जिस रूप में मद्रास पर लागू हैं, के लिए देखिए 1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5 की धारा 11 और धारा 14 ।

[1] इस अधिनियम के मद्रास को लागू करने में धारा 81 और धारा 83 निरसित की गई । देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 9 और धारा 12 । अधिनियम को मुम्बई पर लागू करने में धारा 84 निरसित की गई, देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 11 । धारा 81, धारा 81ख, धारा 82, धारा 82क, धारा 82ख, धारा 82ग और धारा 84क जिस रूप में कि कलकत्ता पर लागू हैं, के लिए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 4 से धारा 7 । धारा 82 और धारा 83, जिस रूप में कि मुम्बई पर लागू हैं, के लिए देखिए 1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20 की धारा 4 और धारा 5 । धारा 82, धारा 82क, धारा 82ख, धारा 84 और धारा 84क, जिस रूप में मद्रास पर लागू हैं, के लिए देखिए 1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5 की धारा 11 और धारा 14 ।

[2] इस अधिनियम के मुम्बई को लागू करने में यह उपधारा निरसित की गई, देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 11 और अनुसूची 1 ।

भाग 5

निरीक्षण-समिति

88. निरीक्षण-समिति—यदि न्यायालय, ठीक समझे तो, वह उन लेनदारों को, जिन्होंने साबित कर दिया है, लेनदारों में से या साधारण परोक्षी या साधारण मुख्तारनामा के धारकों में से निरीक्षण-समिति, शासकीय समनुदेशिती द्वारा दिवालिए की सम्पत्ति के प्रशासन का अधीक्षण करने के प्रयोजनार्थ, नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु कोई लेनदार, जो निरीक्षण-समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है कार्य करने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह साबित न कर दे ।

89. शासकीय समनुदेशिती पर निरीक्षण-समिति का नियंत्रण—समिति को शासकीय समनुदेशिती की कार्यवाहियों पर नियंत्रण की ऐसी शक्तियां होंगी जो विहित की जाएं ।

भाग 6

प्रक्रिया

90. न्यायालय की शक्तियां—(1) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में न्यायालय को वे शक्तियां होंगी और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उसकी मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में हैं और उसके प्रयोग में जिसका वह अनुसरण करता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी भी प्रकार से इस अधिनियम के अधीन न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता को परिसीमित नहीं करेगी ।

(2) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायालय में किसी कार्यवाही के और उसके अनुषंगी खर्चे न्यायालय के विवेकाधीन होंगे ।

(3) न्यायालय किसी भी समय अपने समक्ष कार्यवाहियों को ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, स्थगित कर सकता है ।

(4) न्यायालय किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन किसी लिखित आदेशिका को या कार्यवाही को ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, संशोधित कर सकता है ।

(5) जहां इस अधिनियम या नियमों द्वारा कोई कार्य या बात करने का समय परिसीमित है, वहां, न्यायालय उसके अवसान के या तो पूर्व या पश्चात्, ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना न्यायालय ठीक समझे, समय का विस्तार कर सकता है ।

(6) नियमों के अधीन रहते हुए, न्यायालय किसी भी मामले में समस्त साक्ष्य या उसका कोई भाग या तो मौखिक या प्ररिप्रश्नों द्वारा या शपथपत्र पर या कमीशन द्वारा ले सकता है ।

(7) संयुक्त ऋणियों द्वारा किसी प्रशमन या स्कीम के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ यदि न्यायालय ठीक समझे तो, और शासकीय समनुदेशिती की इस रिपोर्ट पर कि ऐसा करना समीचीन है, संयुक्त ऋणियों में से किसी एक को सार्वजनिक परीक्षा से अभिमुक्त कर सकता है यदि वह बीमारी या विदेशवास के कारण अनुपस्थित होने से परीक्षा में हाजिर होने से अनिवार्यत: निवारित है ।

[1]* * * * *

91. अर्जियों का समेकन—जहां दिवाले की दो या अधिक अर्जियां एक ही ऋणी या संयुक्त ऋणियों के विरुद्ध पेश की गई हैं, या जहां संयुक्त ऋणी पृथक् अर्जियां संस्थित करते हैं वहां, न्यायालय ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें न्यायालय ठीक समझे, कार्यवाहियों को या उनमें से किसी को समेकित कर सकता है ।

92. अर्जी के संचालनकर्ता को बदलने की शक्ति—जहां अर्जीदार अपनी अर्जी पर सम्यक्त: तत्परता से कार्यवाही नहीं करता है वहां, न्यायालय अर्जी में किसी अन्य लेनदार को, जिसके प्रति ऋणी इस अधिनियम द्वारा अर्जी करने वाले लेनदार की दशा में अपेक्षित रकम के लिए ऋणी है, अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर सकता है ।

---

[1] भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा उपधारा (8) निरसित ।

93. ऋणी की मृत्यु के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना—यदि किसी ऋणी की, जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध दिवाले की अर्जी पेश की गई है, मुत्यु हो जाती है, तो, उस मामले में जब तक कि न्यायालय अन्यथा आदेश न दे कार्यवाहियां जारी रहेंगी मानो वह जीवित है ।

94. कार्यवाहियों को रोकने की शक्ति—न्यायालय, किसी भी समय, पर्याप्त कारणों से, या तो बिल्कुल या परिसीमित समय के लिए, दिवाले की अर्जी के अधीन कार्यवाहियों को रोकने का आदेश, ऐसे निबन्धनों पर और ऐसी शर्तों के अधीन कर सकता है, जिन्हें न्यायालय न्यायोचित समझे ।

95. भागीदार के विरुद्ध अर्जी पेश करने की शक्ति—कोई लेनदार, जिसके ऋण उसको किसी फर्म के सभी भागीदारों के विरुद्ध दिवाले की अर्जी पेश करने का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त हैं, फर्म के किसी एक या अधिक भागीदारों के विरुद्ध, अन्य को सम्मिलित किए बिना अर्जी पेश कर सकता है ।

96. कुछ प्रत्यर्थियों के विरुद्ध ही अर्जी खारिज करने की शक्ति—जहां किसी अर्जी में एक से अधिक प्रत्यर्थी हैं वहां न्यायालय उनमें से एक या अधिक की बाबत अर्जी को, उनमें से अन्य के विरुद्ध अर्जी के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खारिज कर सकता है ।

97. भागीदारों के विरुद्ध पृथक् दिवाले की अर्जियां—जहां किसी दिवाले की अर्जी पर किसी फर्म के एक भागीदार द्वारा या उसके विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया गया है वहां, उसी फर्म के किसी अन्य भागीदार द्वारा या उसके विरुद्ध दिवाले की अन्य अर्जी उसी न्यायालय में पेश की जाएगी या उसी को अन्तरित की जाएगी जिसमें प्रथमवर्णित अर्जी विचाराधीन है ; और ऐसा न्यायालय अर्जियों के अधीन कार्यवाहियों के समेकन के लिए ऐसे निदेश दे सकता है जिन्हें वह न्यायोचित समझे ।

98. शासकीय समनुदेशिती और दिवालिए के भागीदारों द्वारा वाद—(1) जहां किसी फर्म का भागीदार, दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है वहां, न्यायालय शासकीय समनुदेशिती को अपने और दिवालिए के भागीदार के नाम पर कोई वाद या अन्य कार्यवाही चालू रखने या प्रारम्भ करने और चलाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ; और उस भागीदार द्वारा उस ऋण या मांग से, जिससे कार्यवाहियां सम्बन्धित हैं, दिया गया कोई छुटकारा शून्य होगा ।

(2) जहां कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही जारी रखने या प्रारम्भ करने के प्राधिकार के लिए आवेदन उपधारा (1) के आधीन किया गया है वहां, आवेदन की सूचना दिवालिए के भागीदार को दी जाएगी और, वह उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित कर सकता है, और उसके आवेदन पर, यदि न्यायालय ठीक समझे तो, यह निदेश दे सकता है कि वह कार्यवाहियों के आगम में अपना उचित अंश प्राप्त करेगा, और यदि वह उसमें से किसी फायदे का दावा नहीं करता है तो उसकी बाबत खर्चा देने के दायित्व से न्यायालय के निदेशानुसार छूट दी जाएगी ।

99. भागीदारी के नाम कार्यवाहियां—(1) कोई दो या अधिक व्यक्ति जो भागीदार हैं, या भागीदारी के नाम से कारबार चलाने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन फर्म के नाम से कार्यवाही करेगा या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी :

परन्तु उस दशा में न्यायालय, किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर, यह आदेश दे सकता है कि उन व्यक्तियों के नाम जो फर्म के भागीदार हैं, या भागीदार के नाम से कारबार चलाने वाले व्यक्ति का नाम, ऐसी रीति में प्रकट किया जाए और शपथ पर या अन्यथा सत्यापित किया जाए, जैसे न्यायालय निदेश दे ।

(2) ऐसी फर्म की दशा में जिसमें एक भागीदार शिशु है, शिशु भागीदार को छोड़कर फर्म के विरुद्ध न्यायनिर्णयन का आदेश किया जा सकता है ।

100. दिवाला न्यायालयों के वारण्ट—(1) न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारण्ट उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अधीन निष्पादित किया जा सकता है जिन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का वारण्ट निष्पादित किया जा सकता है ।

(2) न्यायालय द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया किसी दिवालिए की सम्पत्ति के किसी भाग को अभिग्रहण करने का वारंट विहित प्रारूप में होगा और उक्त संहिता की धाराएं 77(2), 79, 82, 83, 84 और 102 यथाशक्य, ऐसे वारंट के निष्पादन को लागू होंगी ।

(3) न्यायालय द्वारा धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया तलाशी वारण्ट उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अधीन निष्पादित किया जा सकता है जैसा ऐसी सम्पत्ति के लिए, जो चुराई गई अनुमित है, तलाशी वारण्ट उक्त संहिता के अधीन निष्पादित किया जा सकता है ।

भाग 7

परिसीमा

101. अपीलों की परिसीमा—शासकीय समनुदेशिती के कार्य या विनिश्चय से, या धारा 6 के अधीन सशक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से अपील की परिसीमा की कालावधि, यथास्थिति, ऐसे कार्य, विनिश्चय या आदेश की तारीख से बीस दिन होगी ।[1]

[2][**101क. कतिपय दशाओं में परिसीमा की कालावधि की संगणना करने में समय का अपवर्जन**—जहां इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायनिर्णयन का आदेश बातिल किया गया है वहां, किसी ऐसे वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए, जो यदि इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन का आदेश न किया जाता तो की जा सकती थी, विहित परिसीमा की कालावधि की संगणना करने में (उस वाद या विधिक कार्यवाही से भिन्न, जिसकी बाबत न्यायालय की इजाजत धारा 17 के अधीन अभिप्राप्त की गई थी) न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से बातिल करने के आदेश की तारीख तक की कालावधि अपवर्जित की जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे ऋण की बाबत, जो इस अधिनियम के अधीन साबित किया जा सकता है किन्तु साबित नहीं किया गया है, किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही को लागू नहीं होगी ।]

भाग 8

शास्तियां

102. अनुन्मोचित दिवालिए का प्रत्यय अभिप्राप्त करना—कोई अनुन्मोचित दिवालिया, जो किसी व्यक्ति से, बिना उसे सूचित किए कि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, पचास रुपए का या इससे अधिक का प्रत्यय अभिप्राप्त करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

103. कतिपय अपराधों के लिए दिवालिए को दण्ड—कोई न्यायनिर्णीत दिवालिया जिसने—

(क) अपने क्रियाकलापों की स्थिति को छिपाने के आशय से या इस अधिनियम के उद्देश्यों को विफल करने के आशय से कपटपूर्वक—

(i) अपने ऐसे क्रियाकलापों के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के विषय हैं, किसी बही, कागज या लिखत को नष्ट किया है या अन्यथा जानबूझकर निवारित किया है या उनके पेश करने को सप्रयोजन विधारित किया है, या

(ii) मिथ्या बहियां रखी हैं या रखवाई हैं, या

(iii) अपने ऐसे क्रियाकलापों के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के विषय हैं किसी बही, कागज या लिखत में मिथ्या प्रविष्टियां की हैं, या उनसे प्रविष्टियां विधारित की हैं या उसे जानबूझकर परिवर्तित या मिथ्या किया है, या

(ख) अपने लेनदारों में विभाजन की जाने वाली राशि को घटाने के आशय से या उक्त लेनदारों में से किसी को असम्यक् अधिमान देने के आशय से कपटपूर्वक—

(i) उससे या उसको शोध्य कोई ऋण चुका दिया है या छिपाया है, या

(ii) अपनी सम्पत्ति का चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, कोई भाग अपसारित किया है, भारित किया है, बन्धक रखा है या छिपा दिया है,

सिद्धदोष ठहराए जाने पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

[3][**103क. दिवालिए की निरर्हताएं**—(1) जब कोई ऋणी इस अधिनियम के अधीन दिवालिया न्यायनिर्णीत या पुन: न्यायनिर्णीत किया जाता है तो वह निम्नलिखित के लिए इस धारा के उपबन्धों के अधीन, निरर्हित होगा :—

(क) मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए जाने या कार्य करने के लिए ;

---

[1] केवल मुम्बई पर लागू धारा 101क के लिए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1939 (1939 का मुम्बई अधिनियम सं० 15) की धारा 2.

[2] 1950 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1920 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी पद के लिए निर्वाचित होने के लिए जहां ऐसे पद की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा है या ऐसे पद को धारण करने या प्रयोग करने के लिए जिसके लिए कोई वेतन नहीं है ; और

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या बैठने या मतदान करने के लिए ।

(2) कोई दिवालिया इस धारा के अधीन जिन निरर्हताओं के अधीन है वे हटा दी जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी यदि—

(क) न्यायनिर्णयन का आदेश धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन बातिल किया जाता है ; या

(ख) यदि वह न्यायालय से उन्मोचन का आदेश, चाहे आत्यंतिक हो या सशर्त, इस प्रमाणपत्र के साथ अभिप्राप्त कर लेता है कि उसका दिवाला, बिना उसके अवचार के, दुर्भाग्य से कारित हुआ था ।

(3) न्यायालय ऐसा प्रमाणपत्र, जो वह ठीक समझे, दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है ।]

[1][**104. धारा 103 के अधीन आरोप पर प्रक्रिया**—(1) जहां न्यायालय का, ऐसी प्रारम्भिक जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि धारा 103 में निर्दिष्ट और दिवालिए द्वारा किए गए प्रतीत होने वाले अपराध की जांच करने का आधार है वहां, न्यायालय उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अधिकारिता रखने वाले प्रसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में अपराध का परिवाद करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे परिवाद पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में अधिकथित रीति में कार्यवाही करेगा ।

(2) न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन किया गया परिवाद न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसे न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे ।]

105. उन्मोचन या समझौते के पश्चात् आपराधिक दायित्व—जहां कोई दिवालिया धारा 102 या धारा 103 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी का दोषी है वहां, उनके लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने से उसको इस कारण छूट नहीं दी जाएगी कि उसने अपना उन्मोचन अभिप्राप्त कर लिया है या कोई समझौता या प्रबन्ध योजना स्वीकृत या अनुमोदित हो गई है ।

भाग 9

लघु दिवाले

106. लघु मामलों में संक्षेपत: प्रशासन—(1) जहां न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो गया है या शासकीय समनुदेशिती न्यायालय को रिपोर्ट करता है, कि दिवालिए की सम्पत्ति का मूल्य तीन हजार रुपए से या ऐसी अन्य कम रकम से, जो विहित की जाए, अधिक होने की सम्भाव्यता नहीं है, वहां, न्यायालय यह आदेश कर सकता है कि दिवालिए की सम्पदा संक्षिप्त रीति से प्रशासित की जाए और तब इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन होंगे, अर्थात् :—

(क) न्यायालय के आदेश की कोई अपील न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं होगी ;

(ख) किसी लेनदार या शासकीय समनुदेशिती के आवेदन के बिना दिवालिए की परीक्षा नहीं की जाएगी ;

(ग) सम्पदा, यथासाध्य, एकल भागदेय में वितरित की जाएगी ;

(घ) व्यय बचाने और प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से ऐसे अन्य उपान्तर जो विहित किए जाएं :

परन्तु इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के उन उपबन्धों का उपान्तर अनुज्ञात नहीं करेगी जो दिवालिए के उन्मोचन से सम्बन्धित हैं ।

(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, किसी भी समय किसी दिवालिए की सम्पदा के संक्षेपत: प्रशासन के आदेश का प्रतिसंहरण कर सकता है ।

भाग 10

विशेष उपबन्ध

107. निगमों इत्यादि को दिवाले की कार्यवाहियों से छूट—तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निगम के विरुद्ध या किसी संगम या कम्पनी के विरुद्ध दिवाले की कोई अर्जी पेश नहीं की जाएगी ।

108. किसी व्यक्ति के दिवालिया मर जाने पर उसकी सम्पदा का दिवाले में प्रशासन—(1) किसी मृत ऋणी का लेनदार, जिसका ऋण ऋणी के विरुद्ध दिवाले की अर्जी का समर्थन करने के लिए उस समय पर्याप्त होता, जब ऋणी जीवित होता, उस न्यायालय को जिसकी

[1] 1926 के अधिनियम सं० 9 की धारा 9 द्वारा मूल धारा 104 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की सीमाओं में ऋणी अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व के छह मास के दौरान अधिकांश समय में निवास करता था या कारबार चलाता था, इस अधिनियम के अधीन मृत ऋणी की सम्पदा के प्रशासन के लिए आदेश की प्रार्थना करते हुए विहित प्ररूप में अर्जी पेश कर सकता है ।

(2) मृत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों को विहित सूचना दी जाने पर, न्यायालय, अर्जीदार का ऋण साबित होने पर, उस दशा के सिवाय जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस बात की युक्तियुक्त अधिसम्भाव्यता है कि सम्पदा मृतक के ऋणों के संदाय के लिए पर्याप्त होगी, मृत ऋणी की सम्पदा के दिवाले में प्रशासन के लिए आदेश कर सकता है, या हेतुक दर्शित करने पर अर्जी को खर्चे सहित या बिना खर्चे के खारिज कर सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन प्रशासन की अर्जी, मृत ऋणी की सम्पदा के प्रशासन के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाहियों के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् पेश नहीं की जाएगी ; किन्तु वह न्यायालय उस दशा में, इस सबूत पर कि सम्पदा उसके ऋणों का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है, इस अधिनियम के अधीन दिवाले की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को कार्यवाहियां अन्तरित कर सकता है, और तब अन्तिम वर्णित न्यायालय मृत ऋणी की सम्पदा के प्रशासन के लिए आदेश कर सकता है और इसके परिणाम किसी लेनदार की अर्जी पर किए गए प्रशासन-आदेश के समान होंगे ।

109. सम्पदा का निहित होना और प्रशासन का ढंग—(1) धारा 108 के अधीन किसी मृत ऋणी की सम्पदा के प्रशासन के लिए आदेश किए जाने पर, ऋणी की सम्पदा न्यायालय के शासकीय समनुदेशिती में निहित हो जाएगी और वह तुरन्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका आपन करने और वितरण करने की कार्यवाही करेगा ।

(2) इसके पश्चात् वर्णित उपान्तरों सहित, भाग 3 के समस्त उपबन्ध, जो दिवालिए की सम्पत्ति के प्रशासन से सम्बन्धित है, जहां तक वे लागू होते हैं, ऐसे प्रशासन-आदेश की दशा में उसी रीति में लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन के आदेश को लागू होते हैं ।

(3) प्रशासन-आदेश के अधीन मृत ऋणी की सम्पदा के प्रशासन में, शासकीय समनुदेशिती मृत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अन्त्येष्टि और वसीयती के उचित व्यय के, जो उसने ऋणी की सम्पदा में या उसके सम्बन्ध में उपगत किए हैं, संदाय के लिए दावे को ध्यान में रखेगा और वे दावे आदेश के अधीन अधिमानी ऋण समझे जाएंगे और अन्य सभी ऋणों पर पूर्विकता सहित ऋणी की सम्पदा से पूर्णत: संदेय होंगे ।

(4) यदि मृत ऋणी की सम्पदा के प्रशासन पर, शासकीय समनुदेशिती के पास उस प्रशासन के खर्च और दिवाले की दशा में इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित ब्याज सहित ऋणी द्वारा शोध्य सभी ऋणों का पूर्णत: संदाय करने के पश्चात् अधिशेष पाया जाता है तो ऐसा अधिशेष मृत ऋणी की सम्पदा के विधिक प्रतिनिधि को संदत्त किया जाएगा या ऐसी अन्य रीति में, जो विहित की जाएं, कार्यवाही की जाएगी ।

110. विधिक प्रतिनिधियों द्वारा संदाय या अन्तरण—(1) धारा 108 के अधीन अर्जी के पेश किए जाने की सूचना के पश्चात् विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई संदाय या सम्पत्ति का अन्तरण उसके और शासकीय समनुदेशिती के बीच उन्मोचन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा ।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय धारा 108 या धारा 109 या इस धारा की कोई बात विधिक प्रतिनिधि द्वारा या महाप्रशासक अधिनियम, 1874 (1874 का 2) की धारा 64 द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य करते हुए जिला न्यायाधीश द्वारा प्रशासन-आदेश की तारीख के पहले सद्भावपूर्वक किए गए किसी संदाय या कार्य या किसी बात को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

111. महाप्रशासक की अधिकारिता की व्यावृत्ति—धारा 108, 109 और 110 के उपबन्ध उस मामले को लागू नहीं होंगे जिसमें मृत ऋणी की सम्पदा के लिए प्रोबेट या प्रशासन-पत्र महाप्रशासक को अनुदत्त किए गए हैं ।

भाग 11

नियम

[1]**112. नियम**—(1) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय समय-समय पर इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकते हैं ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकते हैं और विनियमित कर सकते हैं :—

---

[1] यह धारा मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता को लागू करने में संशोधित की गई : देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 6 ; प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 15 और प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 8 ।

(क) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीसें और प्रतिशत और वह रीति जिससे वे संगृहीत की जाएंगी और जमा की जाएंगी और वह खाता जिसमें वे संदाय की जाएंगी ;

(ख) दिवालिया ऋणियों की, चाहे वे इसके या इसके किसी पूर्वगामी अधिनियमिति के अधीन दिवालिया न्यायनिर्णीत हुए हों, सम्पदा से सम्बन्धित दावा नहीं किए गए भागधेय, अतिशेष और अन्य राशियों का विनिधान, चाहे अलग-अलग हो या इकट्ठे, और ऐसे विनिधान के आगमों का उपयोजन ;

(ग) दिवालिया ऋणियों की सम्पदा का कब्जा लेने में और आपन करने में शासकीय समनुदेशिती की कार्यवाहियां ;

[1]* * * *

(ङ) शासकीय समनुदेशिती की प्राप्तियां, संदाय और लेखे ;

(च) शासकीय समनुदेशिती के लेखाओं की संपरीक्षा ;

(छ) उसके लेखाओं की संपरीक्षा के [2]*** खर्चों का उसके हाथ में विनिधानों के आगम में से संदाय ;

(ज) कपटपूर्ण ऋणियों के अभियोजन में और न्यायालय के निदेश के अधीन शासकीय समनुदेशिती द्वारा की गई विधिक कार्यवाहियों में उपगत खर्चों का पूर्वोक्त आगम से संदाय ;

(झ) न्यायालय के आदेश या निदेश के अधीन कार्य करते हुए शासकीय समनुदेशिती द्वारा, उपगत किसी सिविल दायित्व का संदाय ;

(ञ) दिवालिया ऋणियों के लेनदारों से समझौते और प्रबन्ध योजना की प्रस्थानाओं से संबंधित कार्यवाहियों का किया जाना ;

(ट) दिवालिया ऋणियों और उनकी सम्पत्तियों से सम्बन्धित आवेदनों और मामलों की सुनवाई पर शासकीय समनुदेशिती द्वारा मध्यक्षेप ;

[3][(टट) लेनदारों और ऋणियों की सूचियां फाइल करना और अर्जी देने वाले ऋणी द्वारा न्यायालय को सहायता प्रदान करना ;]

(ठ) अनुन्मोचित दिवालिया ऋणियों की लेखा बहियों और कागजों की शासकीय समनुदेशिती द्वारा परीक्षा ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में सूचनाओं की तामील ;

[4][(डड) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन दिवाला-सूचना का प्ररूप और वह रीति, जिससे ऐसी सूचना की उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन तामील की जा सकेगी ;]

(ढ) निरीक्षण समितियों की नियुक्ति, अधिवेशन और प्रक्रिया ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन फर्म के नाम से कार्यवाहियों का संचालन ;

(त) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में उपयोग किए जाने वाले प्ररूप ;

(थ) संक्षेपत: प्रशासित की जाने वाली सम्पदाओं की दशा में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(द) मृतक व्यक्तियों की इस अधिनियम के अधीन प्रशासित की जाने वाली सम्पदाओं की दशा में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

[5][(ध) शासकीय समनुदेशिती और उसके उपपदीय या उपपदियों के बीच कार्य वितरण,]

[6][और मद्रास उच्च न्यायालय की दशा में, शासकीय समनुदेशिती के पारिश्रमिक और उसके स्थापन के खर्चे ; भार और व्यय के संदाय के लिए भी उपबन्ध कर सकते हैं और विनियमित कर सकते हैं ।][7]

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (घ) निरसित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "शासकीय समनुदेशिती के पारिश्रमिक का, उसके स्थान के खर्चों, व्ययों और प्रभारों का, और" शब्द निरसित ।

[3] 1927 के अधिनियम सं० 19 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1978 के अधिनिमय सं० 28 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) अंत:स्थापित ।

[5] 1930 के अधिनियम सं० 10 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] केवल कलकत्ता पर लागू धारा 112क के लिए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 9 ।

[1][**113. नियमों की मंजूरी**—इस भाग के उपबन्धों के अधीन बनाए गए नियम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगे ।]

114. नियमों का प्रकाशन—इस प्रकार बनाए गए और मंजूर किए गए नियम [2]*** राजपत्र में [3]*** प्रकाशित होंगे और तब उस न्यायालय में, जिसमें उन्हें बनाया है, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वैसा ही बल और प्रभाव रखेंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं ।

भाग 12

अनुपूरक

115. इस अधिनियम के अधीन अन्तरणों आदि को शुल्क से छूट—(1) न्यायालय के समक्ष या उसके आदेश के अधीन प्रत्येक अन्तरण, बन्धक, समनुदेशन, मुख्तारनामा, परोक्षी पत्र, प्रमाणपत्र, शपथपत्र, बन्धपत्र या अन्य कार्यवाहियां, लिखत या लेख चाहे जो हो और उनकी किसी प्रति को, किसी स्टाम्प या अन्य शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन शासकीय समनुदेशिती द्वारा न्यायालय को किए गए किसी आवेदन पर, या ऐसे आवेदन पर न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को लिखने और जारी करने के लिए कोई स्टाम्प-शुल्क या फीस प्रभार्य नहीं होगी ।

116. राजपत्र का साक्ष्य होना—(1) इस अधिनियम के अनुसरण में अन्त:स्थापित किसी सूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रति सूचना में कथित तथ्यों का साक्ष्य होगी ।

(2) न्यायनिर्णयन के आदेश की सूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रति आदेश के सम्यक्त: किए जाने और उसकी तारीख का निश्चायक साक्ष्य होगी ।

117. शपथपत्रों के लिए शपथ लेना—इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी भी शपथपत्र का उपयोग किया जा सकता है यदि उसकी शपथ निम्नलिखित के समक्ष ली गई थी :—

(क) [4][[5]*** राज्यों में :—

(i) किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष, या

(ii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के समक्ष ;

(ख) इंगलैंड में, हिज मैजेस्ट्री के उच्च न्यायालय में, या लंकास्टर की पैलेटिन काउण्टी के चांसरी न्यायालय में शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष या दिवाला न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष, या दिवाला न्यायालय के किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष जो इस निमित्त उस न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है या उस काउण्टी या स्थान के जहां शपथ ली जाती है जस्टिस आफ दि पीस के समक्ष ;

(ग) स्काटलैंड या आयरलैंड में, सामान्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या जस्टिफ आफ दी पीस के समक्ष ; और

(घ) किसी अन्य स्थान में, शपथ दिलाने के लिए अर्हित किसी मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ दी पीस या अन्य व्यक्ति के समक्ष (जिसे [6][भारतीय कौंसल या राजनीतिक अभिकर्ता] या नोटरी पब्लिक ने मजिस्ट्रेट या जस्टिफ आफ दि पीस के रूप में या यथापूर्वोक्त अर्हित होने के लिए प्रमाणित किया है) ।

118. प्ररूपिक त्रुटि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—(1) दिवाले में कोई कार्यवाही किसी प्ररूपिक त्रुटि या अन्य अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उस न्यायालय की, जिसके समक्ष कार्यवाहियों पर आक्षेप किया जाता है, यह राय नहीं है कि उस त्रुटि या अनियमितता के कारण अन्याय हुआ है और उस न्यायालय के आदेश द्वारा उस अन्याय का उपचार नहीं किया जा सकता है ।

(2) शासकीय समनुदेशिती या निरीक्षण समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता से उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य दूषित नहीं होगा ।

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मूल धारा 113 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र में या" शब्द निरसित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "यथास्थिति" शब्द निरसित ।

[4] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के" शब्दों का लोप किया गया ।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "किसी ब्रिटिश मंत्री या ब्रिटिश कौंसल या ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

119. न्यासी के दिवाले को न्यासी अधिनियम का लागू होना—जहां कोई दिवालिया भारतीय न्यासी अधिनियम, 1866 (1866 का 27) के अन्तर्गत न्यासी है वहां, उस अधिनियम की धारा 35 का इस प्रकार प्रभाव होगा कि दिवालिए के स्थान पर नया न्यासी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (चाहे उसने स्वेच्छया पद त्याग किया हो या नहीं) यदि ऐसा करना समीचीन प्रतीत होता है तो, और उस अधिनियम और उससे सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियम के सभी उपबन्धों का तद्नुसार प्रभाव होगा ।

120. कतिपय उपबन्धों का सरकार को आबद्ध करना—इसमें यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के वे उपबन्ध, जो ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध उपचारों से, ऋणों की पूर्विकता से, समझौता और प्रबन्ध योजना के प्रभाव से, और उन्मोचन के प्रभाव से संबंधित हैं, सरकार को आबद्ध करेंगे ।

121. सुने जाने के विद्यमान अधिकारों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम की, या उसी के द्वारा किए गए अधिकारिता के अन्तरण की कोई बात, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी व्यक्ति के सुने जाने के किसी अधिकार को समाप्त या प्रभावित नहीं करेगी, या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे दिवालिया ऋणी अनुतोष न्यायालय के समक्ष सुने जाने का अधिकार नहीं था, दिवाले के मामले में ऐसा अधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी ।[1]

[2]**122. बिना दावा के भागदेय का सरकार को चला जाना और जमा होना**—जहां शासकीय समनुदेशिती के नियंत्रण में कोई ऐसा भागदेय है, जो घोषणा की तारीख से पन्द्रह वर्ष या ऐसी कम कालावधि के लिए, जो विहित की जाए, बिना दावा के पड़ा है वहां, वह उस [3][राज्य सरकार] के लेखे और खाते में उसे संदाय करेगा, जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न दे ।

123. धारा 122 के अधीन सरकार को जमा किए गए धन के दावे—धारा 122 के अधीन [3][राज्य सरकार] के लेखे और खाते में संदाय किए गए धन के लिए हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति न्यायालय में उस धन का संदाय करने के लिए आवेदन कर सकता है ; और न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि दावा करने वाला व्यक्ति हकदार है तो, उसको शोध्य रकम का संदाय करने के लिए आदेश करेगा :

परन्तु, [3][राज्य सरकार] के लेखे और खाते में जमा की गई किसी राशि का संदाय करने के लिए आदेश करने के पूर्व, न्यायालय [4][राज्य सरकार] द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी पर यह अपेक्षा करते हुए कि वह अधिकारी सूचना की तामील की तारीख से एक मास के अन्दर यह हेतुक दर्शित करे कि क्यों आदेश न किया जाए, एक सूचना तामील कराएगा ।[5]

124. दिवालिए की बहियों तक पहुंच—(1) शासकीय समनुदेशिती के मुकाबले कोई व्यक्ति दिवालिए की लेखा-बहियों का कब्जा विधारित करने का या उन पर धारणाधिकार जताने का हकदार नहीं होगा ।

(2) न्यायालय के नियंत्रण के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर, यदि कोई हो, जो विहित की जाए, दिवालिए का कोई लेनदार सभी युक्तियुक्त समय पर, व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा शासकीय समनुदेशिती के कब्जे में ऐसी बहियों का निरीक्षण कर सकता है ।

125. फीस और प्रतिशत—इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए और उनके सम्बन्ध में ऐसी फीसें और प्रतिशत भारित किए जाएंगे जो विहित किए जाएं ।[6]

126. न्यायालयों का एक दूसरे का सहायक होना—इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले सभी न्यायालय ऐसे आदेश ओर ऐसी बातें करेंगे जो दिवाला अधिनियम, 1883 (46 और 47 विक्टोरिया, अध्याय 52) की धारा 118, प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1907 (1907 का 3)[7] की धारा 50 को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों ।

127. व्यावृत्ति—[8]* * * * *

(2) [8]*** भारतीय दिवाला अधिनियम, 1848 (11 और 12 विक्टोरिया, अध्याय 21) के अधीन दिवाले की अर्जी के अधीन कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित हैं, जहां तक इस अधिनियम का कोई उपबन्ध अभिव्यक्तत: लम्बित कार्यवाहियों को

---

[1] केवल मुम्बई में लागू धारा 121क के लिए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 7 ।

[2] मुम्बई पर प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 8 द्वारा संशोधित रूप में यह धारा लागू की गई ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गर्वनर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] धारा 123क और 123ख, जो कि केवल मुम्बई में लागू है, के लिए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मुम्बई संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का मुम्बई अधिनियम सं० 20) की धारा 10.

[6] कलकत्ता और मद्रास में लागू करने के लिए यह धारा संशोधित की गई : देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 11 और प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (मद्रास संशोधन) अधिनियम, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 5) की धारा 16.

[7] अब प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) देखिए ।

[8] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) में "इस अधिनियम द्वारा प्रभावी निरसन के होते हुए भी" शब्द निरसित ।

लागू किया गया है उसके सिवाय, चालू रहेंगी, और उक्त भारतीय दिवाला अधिनियम के समस्त उपबन्ध, यथापूर्वोक्त के सिवाय, उसको इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है ।

प्रथम अनुसूची

(धारा 26 देखिए)

लेनदारों के अधिवेशन

1. लेनदारों के अधिवेशन—शासकीय समनुदेशिती किसी भी समय लेनदारों का अधिवेशन आहूत कर सकता है, और जब कभी न्यायालय द्वारा या लेनदारों द्वारा किसी अधिवेशन में संकल्प द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाए या जब कभी मूल्य में एक बटा चार लेनदारों द्वारा, जिन्होंने साबित किया है, लिखित अनुरोध किया जाए तब आहूत करेगा ।

2. अधिवेशनों का समन करना—अधिवेशन, प्रत्येक लेनदार को उसने सबूत में दिए गए पते पर, या यदि उसने साबित नहीं किया है तो दिवालिए की अनुसूची में दिए गए पते पर, या ऐसे अन्य पते पर, तब जो शासकीय समनुदेशिती को ज्ञात हैं, समय और स्थान की सूचना भेज कर आहूत किए जाएंगे ।

3. अधिवेशनों की सूचना—किसी अधिवेशन की सूचना अधिवेशन के लिए नियत दिन से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी और व्यक्तिगत रूप से परिदत्त की जा सकती है या पहले ही महसूल दे दी गई डाक पत्र द्वारा भेजी जा सकती है, जैसा सुविधाजनक हो । शासकीय समनुदेशिती, यदि वह ठीक समझे तो, किसी अधिवेशन का समय और स्थान और स्थानीय समाचारपत्र में या राजपत्र में भी प्रकाशित कर सकता है ।

4. यदि अपेक्षित हो तो दिवालिए का उपस्थित होने का कर्तव्य—दिवालिए का यह कर्तव्य होगा कि वह उस अधिवेशन में या उसके किसी स्थगन में उपस्थित हो जिसमें शासकीय समनुदेशिती सूचना द्वारा उससे उपस्थित होने की अपेक्षा करे । ऐसी सूचना अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व उसे या तो व्यक्तिगत रूप से परिदत्त की जाएगी या डाक द्वारा उसके पते पर भेजी जाएगी ।

5. सूचना की अप्राप्ति के कारण कार्यवाहियों का शून्य न किया जाना—इस बात के होते हुए भी कि किसी लेनदार को उसे भेजी गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, यह है कि जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे, किसी अधिवेशन में की गई कार्यवाहियां और पारित संकल्प विधिमान्य होंगे ।

6. सूचना जारी किए जाने का सबूत—शासकीय समनुदेशिती का यह प्रमाणपत्र कि किसी अधिवेशन की सूचना सम्यक्त: दी गई थी, इस बात का पर्याप्त सबूत होगा कि ऐसी सूचना उस व्यक्ति को सम्यक्त: भेजी गई थी जिसको वह सम्बोधित थी ।

7. अधिवेशन के खर्चे—जहां लेनदारों के अनुरोध पर शासकीय समनुदेशिती अधिवेशन आहूत करता है वहां, लिखित अनुरोध के साथ प्रत्येक बीस लेनदारों के लिए पांच रुपए की राशि सभी संवितरणों सहित अधिवेशन आहूत करने के खर्चे के लिए जमा की जाएगी ; परन्तु शासकीय समनुदेशिती ऐसी और रकम जमा करने की अपेक्षा कर सकता है जो उसकी राय में अधिवेशन के खर्चे और व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी ।

8. अध्यक्ष—शासकीय समनुदेशिती प्रत्येक अधिवेशन का अध्यक्ष होगा ।

9. मत देने का अधिकार—कोई लेनदार किसी अधिवेशन में मत देने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने दिवालिए द्वारा उसको शोध्य दिवाले में साबित किया जाने वाला ऋण सम्यक्त: साबित नहीं कर दिया है और सबूत अधिवेशन के लिए नियत दिन से एक पूर्ण दिन पूर्व सम्यक्त: दाखिल नहीं कर दिया गया है ।

10. कतिपय ऋणों की बाबत किसी मत का नहीं होना—कोई लेनदार ऐसे किसी अधिवेशन में किसी अपरिनिर्धारित या आकस्मिक ऋण, या किसी ऐसे ऋण की बाबत जिसका मूल्य अभिनिश्चित नहीं है, मत नहीं देगा ।

11. प्रतिभूत लेनदार—मत देने के प्रयोजनार्थ, प्रतिभूत लेनदार, जब तक कि वह अपनी प्रतिभूति अभ्यर्पित न कर दे, अपने सबूत में उसकी प्रतिभूति की विशिष्टियां जिस दिन वह दी गई थीं वह तारीख, और उसका मूल्य जो वह आकलित करता है, कथित करेगा और उसकी प्रतिभूति के मूल्य को घटाने के पश्चात् उसको शोध्य अतिशेष की बाबत ही, यदि कोई हो, मत देने का हकदार होगा । यदि वह सम्पूर्ण ऋण के संबंध में मत देता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपनी प्रतिभूति का अभ्यर्पण कर दिया, जब तक कि न्यायालय का आवेदन पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिभूति का मूल्यांकन करने में लोप अनवधानतावश हुआ है ।

12. पराक्रम्य लिखत के सम्बन्ध में सबूत—जहां कोई लेनदार किसी विनिमयपत्र, वचनपत्र, या अन्य परक्राम्य लिखत या प्रतिभूति के संबंध में जिन पर दिवालिया दायी है, साबित करना चाहता है वहां, ऐसा विनिमयपत्र, वचनपत्र, लिखत या प्रतिभूति न्यायालय के इसके

विपरीत किसी विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इसके पहले कि सबूत मत के लिए ग्रहण किया जाए शासकीय समनुदेशिती को पेश की जाएगी ।

13. लेनदार से प्रतिभूति छोड़ देने की अपेक्षा करने की शक्ति—शासकीय समनुदेशिती इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह किसी अधिवेशन में मत देने में किसी प्रतिभूति के मूल्य का प्राक्कलन करने वाले सबूत का उपयोग किए जाने के पश्चात् अट्ठाईस दिन के अन्दर, लेनदार से इस प्रकार प्राक्कलित मूल्य के संदाय पर साधारणत: लेनदारों के फायदे के लिए प्रतिभूति छोड़ देने की अपेक्षा करे ।

14. भागीदार द्वारा सबूत—यदि फर्म का एक भागीदार दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है तो, कोई लेनदार जिसका वह भागीदार फर्म के अन्य भागीदारों के साथ, या उनमें से किसी के साथ, संयुक्तत: ऋणी है, लेनदारों के किसी अधिवेशन में मत के प्रयोजनार्थ अपना ऋण साबित कर सकता है और उसमें मत देने का हकदार होगा ।

15. शासकीय समनुदेशिती की सबूत ग्रहण करने और अग्रहण करने की शक्ति—शासकीय समनुदेशिती को मत देने के प्रयोजनार्थ कोई सबूत ग्रहण या अग्रहण करने की शक्ति होगी, किन्तु उसका विनिश्चय न्यायालय को अपीलनीय होगा । यदि उसे सन्देह है कि किसी लेनदार का सबूत ग्रहण किया जाना चाहिए या अग्रहण किया जाना चाहिए, तो वह सबूत को आक्षेपित के रूप में चिह्नित करेगा, ओर लेनदार को, आक्षेप के मान लिए जाने पर मत को अविधिमान्य घोषित किए जाने की शर्त पर, मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

16. परोक्षी—लेनदार या तो व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा मत दे सकता है ।

17. परोक्षी लिखत—प्रत्येक परोक्षी लिखत विहित प्ररूप में होगी और शासकीय समनुदेशिती द्वारा जारी की जाएगी ।

18. साधारण परोक्षी—लेनदार अपने अटर्नी या अपने प्रबन्धक या लिपिक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसके नियमित नियोजन में है, एक साधारण परोक्षी दे सकता है । ऐसी दशा में परोक्षी लिखत में उस संबंध का कथन होगा जो तद्धीन कार्य करने वाले व्यक्ति और लेनदार के बीच है ।

19. अधिवेशन के एक दिन पूर्व परोक्षी का जमा किया जाना—किसी परोक्षी का उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जिस अधिवेशन में उसका उपयोग किया जाना है उस अधिवेशन के लिए नियत समय के एक पूर्ण दिन पूर्व शासकीय समनुदेशिती के पास जमा नहीं कर दी जाती है ।

20. परोक्षी के रूप में शासकीय समनुदेशिती—लेनदार शासकीय समनुदेशिती को अपने परोक्षी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है ।

21. अधिवेशन का स्थगन—शासकीय समनुदेशिती अधिवेशन को एक समय से दूसरे समय के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थगित कर सकता है, और स्थगन की सूचना आवश्यक नहीं होगी ।

22. कार्यवाहियों का कार्यवृत्त—शासकीय समनुदेशिती अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त लिखेगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 48 देखिए)

ऋणों का सबूत

मामूली मामलों में सबूत

1. सबूत दाखिल करने का समय—प्रत्येक लेनदार, न्यायनिर्णयन का आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र अपने ऋण का सबूत दाखिल करेगा ।

2. सबूत दाखिल करने का ढंग—सबूत, शासकीय समनुदेशिती को ऋण को सत्यापित करने वाला शपथपत्र परिदान करके या रजिस्ट्रीकृत पत्र से डाक द्वारा भेज कर दाखिल किया जा सकता है ।

3. शपथपत्र बनाने का प्राधिकार—शपथपत्र लेनदार द्वारा स्वयं या उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है । यदि इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, तो उसमें उस व्यक्ति के प्राधिकार और जानकारी के माध्यम का कथन होगा ।

4. शपथपत्र की अन्तर्वस्तु—शपथपत्र में ऋण की विशिष्टियां दर्शित करने वाला लेखा-विवरण अन्तर्विष्ट या निर्दिष्ट होगा, और उसमें वे वाउचर, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट होंगे जिनके द्वारा वे सिद्ध किए जा सकते हैं । शासकीय समनुदेशिती किसी भी समय वाउचर पेश किए जाने की मांग कर सकता है ।

5. शपथपत्र में यह कथन होगा कि क्या लेनदार प्रतिभूति धारण करता है—शपथपत्र में यह कथन होगा कि लेनदार प्रतिभूत लेनदार है अथवा नहीं ।

6. ऋण साबित करने का खर्च—लेनदार अपने ऋण को साबित करने का खर्चा वहन करेगा जब तक कि न्यायालय विशेषत: अन्यथा आदेश न दे ।

7. सबूत देखने और परीक्षा करने का अधिकार—प्रत्येक लेनदार, जिसने सबूत दाखिल किया है, अन्य लेनदारों के सबूत, सभी युक्तियुक्त समय पर देखने और परीक्षा करने का हकदार होगा ।

8. सबूत से कटौती का किया जाना—सबूत को दाखिल करने में लेनदार अपने ऋण के सभी व्यापारी बट्टों की कटौती करेगा, किन्तु वह ऐसे बट्टे की कटौती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो वह नकद संदाय के लिए अनुज्ञात करने के लिए सहमत हो गया हो और जो उसके दावे की शुद्ध रकम पर पांच प्रतिशत से अनधिक होगा ।

प्रतिभूत लेनदारों द्वारा सबूत

9. जहां प्रतिभूति आपन की जा चुकी है वहां सबूत—यदि कोई प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति का आपन कर लेता है तो, वह आपन की गई शुद्ध रकम की कटौती करने के पश्चात् उस अतिशेष को, जो उसे शोध्य है साबित कर सकता है ।

10. जहां प्रतिभूति अभ्यर्पित कर दी गई है वहां सबूत—यदि कोई प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति शासकीय समनुदेशिती को लेनदारों के साधारण फायदे के लिए अभ्यर्पित कर देता है तो वह अपना संपूर्ण ऋण साबित कर सकता है ।

11. अन्य मामलों में सबूत—यदि कोई प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति का न तो आपन करता है और न अभ्यर्पण करता है तो, वह भागदेय के लिए पंक्तिबद्ध होने के पूर्व, अपने सबूत में अपनी प्रतिभूति की विशिष्टियों का, उस तारीख का, जिसको वह दी गई थी और उसके उस मूल्य का, जिस पर वह उसका निर्धारण करता है, कथन करेगा, और वह इस प्रकार निर्धारित मूल्य की कटौती करने के पश्चात् केवल उस अतिशेष की बाबत, जो उसे शोध्य है, भागदेय प्राप्त करने का हकदार होगा ।

12. प्रतिभूति का मूल्यांकन—(1) जहां कोई प्रतिभूति इस प्रकार मूल्यांकित है वहां शासकीय समनुदेशिती लेनदार को निर्धारित मूल्य का संदाय करके किसी भी समय उसका मोचन कर सकता है ।

(2) यदि शासकीय समनुदेशिती का प्रतिभूति के निर्धारित मूल्य से समाधान नहीं होता है तो, वह यह अपेक्षा कर सकता है कि इस प्रकार मूल्यांकित प्रतिभूति में समाविष्ट सम्पत्ति ऐसे समय और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाए जो लेनदार और शासकीय समनुदेशिती के मध्य करार पाए जाएं, या करार के अभाव में, जैसा न्यायालय निदेश दे । यदि विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा है तो लेनदार, या सम्पदा की ओर से शासकीय समनुदेशिती, बोली लगा सकता है या क्रय कर सकता है :

परन्तु लेनदार किसी भी समय, लिखित सूचना द्वारा, शासकीय समनुदेशिती से यह निर्वाचन करने की अपेक्षा कर सकता है कि क्या वह प्रतिभूति का मोचन करने की या उसके आपन करने की अपेक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा या नहीं और यदि शासकीय समनुदेशिती, सूचना प्राप्त करने के पश्चात् छह मास के अन्दर, लेनदार को शक्ति के प्रयोग के अपने निर्वाचन को लिखित रूप से संज्ञापित नहीं करता है तो, वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ; और मोचन का अधिकार, या प्रतिभूति में समाविष्ट सम्पत्ति में कोई अन्य हित, जो शासकीय समनुदेशिती में निहित है, लेनदार में निहित हो जाएगा, और उसके ऋण की राशि से वह रकम घटा दी जाएगी जो प्रतिभूति का मूल्यांकन है ।

13. मूल्यांकन का संशोधन—जहां किसी लेनदार ने अपनी प्रतिभूति का इस प्रकार मूल्यांकन किया है वहां वह शासकीय समनुदेशिती के या न्यायालय के समाधानपर्यन्त यह दर्शित करने पर कि मूल्यांकन और सबूत भूल से किए गए प्राक्कलन पर सद्भावपूर्वक किए गए थे, या पूर्ववर्ती मूल्यांकन के पश्चात् प्रतिभूति का मूल्य कम या अधिक हो गया है, किसी भी समय मूल्यांकन और सबूत को संशोधित कर सकता है ; किन्तु प्रत्येक ऐसा संशोधन लेनदार के खर्चे पर और ऐसे निबन्धनों पर, जैसा न्यायालय आदेश करे, किया जाएगा, उस दशा के सिवाय जिसमें शासकीय समनुदेशिती न्यायालय को आवेदन के बिना संशोधन अनुज्ञात करे ।

14. प्राप्त आधिक्य का प्रतिदाय—जहां कोई मूल्यांकन पूर्वगामी नियम के अनुसार संशोधित किया गया है वहां, लेनदार, यथास्थिति, किसी अधिशेष भागदेय को जिसे उसने उसके आधिक्य में प्राप्त किया है जिसके लिए वह संशोधित मूल्यांकन के आधार पर हकदार होता, तुरन्त प्रतिदाय करेगा, या तत्समय भागदेय के लिए उपलभ्य धन में से, किसी भागदेय या भागदेय के हिस्से का संदाय किए जाने का हकदार होगा जो वह आरम्भिक मूल्यांकन में अशुद्धता के कारण प्राप्त करने में असफल रहा है, इसके पूर्व कि धन किसी भावी भागदेय के संदाय के लिए उपलभ्य किया जाए, किन्तु वह संशोधन की तारीख से पहले घोषित किसी भागदेय के वितरण में बाधा डालने का हकदार नहीं होगा ।

15. जहां प्रतिभूति बाद में आपन की गई है वहां संशोधन—यदि कोई लेनदार अपनी प्रतिभूति का मूल्यांकन करने के पश्चात् बाद में उसे आप्त कर लेता है, या यदि वह नियम 12 के उपबन्धों के अधीन आप्त की जाती है तो, लेनदार द्वारा पहले किए गए मूल्यांकन की रकम के स्थान पर आप्त शुद्ध रकम प्रतिस्थापित की जाएगी और सभी प्रकार से लेनदार द्वारा संशोधित मूल्यांकन के रूप में समझी जाएगी ।

16. भागदेय में हिस्सा लेने से अपवर्जन—यदि कोई प्रतिभूत लेनदार पूर्वगामी नियमों का पालन नहीं करता है तो वह किसी भागदेय के सभी हिस्सों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

17. प्राप्ति की परिसीमा—नियम 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई लेनदार किसी भी दशा में रुपए में सोलह आने से अधिक और इस अधिनियम में यथा उपबन्धित ब्याज से अधिक प्राप्त नहीं करेगा ।

बन्धक सम्पत्ति का लेखा लेना और उसका विक्रय

18. बन्धक की जांच आदि—दिवालिए की पूर्ण स्वामिक स्थावर या पट्टाधृति सम्पदा के किसी भाग का बन्धकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, चाहे ऐसा बन्धक विलेख द्वारा हो या अन्यथा, और चाहे वह विधिक हो या साम्यापूर्ण, या शासकीय समनुदेशिती द्वारा यथापूर्वोक्त बन्धकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति की सहमति से आवेदन पर, न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति ऐसा बन्धकदार है, और किस प्रतिफल के लिए और किन परिस्थितियों में है ; और यदि यह पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति बन्धकदार है, और ऐसे व्यक्ति के ऐसे बन्धक के अधीन उसके द्वारा दावा की गई राशि के लिए हक के विरुद्ध कोई पर्याप्त आक्षेप प्रतीत नहीं होता है तो, न्यायालय यह निदेश देगा कि ऐसे बन्धक पर शोध्य मूलधन, ब्याज और खर्च, और उस दशा में जहां वह उस सम्पत्ति के जो बन्धक है या उसके किसी भाग पर कब्जा रखता है ऐसे व्यक्ति द्वारा, या उसके आदेश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके प्रयोग के लिए प्राप्त किए गए भाटक और लाभ या लाभांश, ब्याज या अन्य आगमों को अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक लेखे लिए जाएं और जांच की जाए, और यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विक्रय होना चाहिए तो, वह यह निदेश देगा कि ऐसे समाचारपत्रों में, जिन्हें न्यायालय ठीक समझे, यह सूचना दी जाए कि कब और कहां और किसके द्वारा और किस प्रकार से उक्त परिसर या सम्पत्ति, या उनमें इस प्रकार बन्धकित हित बेचे जाने हैं, और यह कि ऐसा विक्रय तद्नुसार किया जाए, और यह कि शासकीय समनुदेशिती (जब तक कि अन्यथा आदिष्ट[1] न हो) ऐसे विक्रय का संचालन करेगा ; किन्तु ऐसे किसी बन्धकदार के लिए ऐसा आवेदन देना अनिवार्य नहीं होगा । ऐसे किसी विक्रय में बन्धकदार बोली लगा सकता है और क्रय कर सकता है ।

19. हस्तान्तरण—सभी उचित पक्षकार क्रेता को हस्तान्तरण में संयुक्त होंगे जैसा न्यायालय निदेश दे ।

20. विक्रय के आगम—ऐसे विक्रय से उद्भूत होने वाला धन, सर्वप्रथम न्यायालय को आवेदन के कारण और उससे होने वाले और ऐसे विक्रय से होने वाले खर्च, भार और व्यय के और शासकीय समनुदेशिती के कमीशन के (यदि कोई हो) संदाय में, और इसके पश्चात् ऐसे बन्धकदार को जो शोध्य पाया जाए उस मूलधन, ब्याज और खर्च के लिए संदाय और उसकी तुष्टि के लिए, जहां तक वह हो सकता है, उपयोजित किया जाएगा और विक्रय धन का अधिशेष (यदि कोई हो), इसके बाद शासकीय समनुदेशिती को संदाय किया जाएगा । किन्तु यदि ऐसे विक्रय से उद्भूत होने वाला धन ऐसे बन्धकदार को जो भी इस प्रकार शोध्य पाया गया है उसका संदाय और तुष्टि करने में अपर्याप्त है तो, तब वह ऐसी कमी के लिए लेनदार के रूप में साबित करने का हकदार होगा, और उस पर अन्य लेनदारों के साथ आनुपातिक रूप से भागदेय प्राप्त करेगा, किन्तु इस प्रकार कि पहले से घोषित किसी भागदेय से बाधा मे पड़े ।

21. जांच में कार्यवाहियां—ऐसी जांच और लेखाओं के अधिक अच्छे किए जाने के लिए क्रेता को हकदार बनाने के लिए न्यायालय सभी पक्षकारों की परिप्रश्न से या अन्यथा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, परीक्षा कर सकता है, और सभी पक्षकार न्यायालय के समक्ष शपथ पर सम्पदा से सम्बन्धित सभी विलेख, कागज, बहियां और लिखत जो उनकी अभिरक्षा या शक्ति में हैं या दिवालिए की चीजबस्त पेश करेंगे जैसा न्यायालय निदेश करे ।

कालिक संदाय

22. कालिक संदाय—जब कोई भाटक या अन्य संदाय कथित कालावधियों पर शोध्य होता है, और न्यायनिर्णयन का आदेश उन कालावधियों के अतिरिक्त किसी समय किया जाता है तो, भाटक या संदाय का हकदार व्यक्ति आदेश की तारीख तक उसके आनुपातिक भाग के लिए साबित कर सकता है मानो शोध्य भाटक या संदाय दैनन्दिन है ।

ब्याज

23. ब्याज—(1) किसी ऋण या निश्चित राशि पर जिस पर ब्याज का आरक्षण या करार नहीं है और जो उस समय अतिशोध्य है जब ऋणी दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, और जो इस अधिनियम के अधीन साबित किया जा सकता है, लेनदार छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक दर पर ब्याज साबित कर सकता है :—

---

[1] कलकत्ता में लागू करने के लिए इस नियम में "ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे" शब्द यहां अंत:स्थापित किए गए देखिए प्रेसिडेंसी नगर दिवाला (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1936 (1936 का बंगाल अधिनियम सं० 18) की धारा 12.

(क) यदि ऋण या राशि किसी लिखित पत्रक के आधार पर निश्चित समय पर संदेय है तो, जब ऐसा ऋण या राशि संदेय थी उस समय से ऐसे न्यायनिर्णयन की तारीख तक ; या

(ख) यदि ऋण या राशि अन्यथा संदेय है तो, उस समय से जब ऋणी को यह सूचना देते हुए कि ब्याज का दावा मांग की तारीख से संदाय के समय तक किया जाएगा लिखित मांग की गई है, ऐसे न्यायनिर्णयन की तारीख तक ।

(2) जहां दिवाले में साबित किए गए ऋण में ब्याज या ब्याज के बदले में कोई धन सम्बन्धी प्रतिफल सम्मिलित है वहां भागदेय के प्रयोजनार्थ, सभी साबित किए गए ऋणों को पूर्णत: संदत्त करने के पश्चात् लेनदार के ऋणी की सम्पदा से किसी उचित दर पर ब्याज, जिसे पाने का वह हकदार हो, प्राप्त करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्याज या प्रतिफल छह प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक की दर से संगणित किया जाएगा ।

भविष्य में संदेय ऋण

24. भविष्य में संदेय ऋण—कोई लेनदार ऐसे ऋण को, जो उस समय संदेय नहीं है जब ऋणी दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, साबित कर सकता है मानो वह ऋण वर्तमान में संदेय है, और भागदेय में से, भागदेय की घोषणा के समय से ऋण के संदाय होने के समय तक संगणित छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से केवल ब्याज के रिबेट की कटौती करके, उन निबन्धनों के अनुसार, जिन पर वह ऋण लिया गया था, अन्य लेनदारों के साथ बराबर-बराबर भागदेय प्राप्त कर सकता है ।

सबूतों का ग्रहण या अग्रहण

25. सबूतों का ग्रहण या अग्रहण—शासकीय समनुदेशिती प्रत्येक सबूत और ऋण के आधारों की परीक्षा करेगा और उन्हें पूर्णत: या भागत: लिखित रूप से ग्रहण या अग्रहण करेगा, या उनके समर्थन में और साक्ष्य की अपेक्षा करेगा । यदि वह सबूत का अग्रहण करता है तो वह लेनदार को लिखित रूप में अग्रहण के आधारों का कथन करेगा ।

26. न्यायालय का अनुचित रूप से लिए गए सबूत को निकालना—यदि शासकीय समनुदेशिती का यह विचार है कि कोई सबूत अनुचित रूप से ग्रहण किया गया है तो न्यायालय, शासकीय समनुदेशिती के आवेदन पर, उस लेनदार को, जिसने साबित किया है, सूचना देने के पश्चात्, सबूत को निकाल सकता है या उसकी रकम को घटा सकता है ।

27. सबूत को निकालने या घटाने की न्यायालय की शक्ति—यदि शासकीय समनुदेशिती मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करता है तो लेनदार के आवेदन पर अथवा समझौता या योजना की दशा में दिवालिए के आवेदन पर न्यायालय किसी सबूत को निकाल या घटा भी सकता है ।

तृतीय अनुसूची—**[अधिनियमितियां निरसित ।]**—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

———